



वार्षिक लेखा 2016-17

प्रथक सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट
एवं प्रबंधन



पौधा किरण और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गाँव के सामने, नई दिल्ली-110012

दूरभाष : 011-25848127, 011-25842846, फैक्स : 011-25840478

ईमेल : rg-ppvfra@nic.in

www.plantauthority.gov.in



वार्षिक लेखा

2016-17

प्रथक सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट
एवं प्रबंधन



पौधा किरम और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गाँव के सामने,
नई दिल्ली-110012

www.plantauthority.gov.in

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	तुलन –पत्र	1
2.	आय और व्यय का लेखा	2
3.	प्राप्तियों और अदायगियों का लेखा	3-4
4.	तुलन –पत्र की अनुसूचियां	5-13
5.	आय और व्यय का लेखे की अनुसूचियां	14-19
6.	पूर्व अवधि समायोजन (अनुबंध—क)	20
7.	विद्यमान डीयूएस केन्द्रों से प्राप्त राशि के ब्यौरे का विवरण (अनुबंध—ख)	21-27
8.	विद्यमान डीयूएस केन्द्रों को देय राशि के ब्यौरे का विवरण (अनुबंध—ग)	28
9.	नए डीयूएस केन्द्रों से प्राप्त राशि के ब्यौरे का विवरण (अनुबंध—घ)	29-30
10.	नए डीयूएस केन्द्रों को देय राशि का विवरण (अनुबंध—ङ)	31
11.	संदर्भ प्रयोगशालाओं से प्राप्त राशि का विवरण (अनुबंध—च)	32
12.	जीन बैंक तथा फील्ड जीन बैंक से प्राप्त राशि का विवरण (अनुबंध—छ)	33
13.	जीन बैंक तथा फील्ड जीन बैंक को अदा की जाने वाली राशि का विवरण (अनुबंध—ज)	34
14.	प्रशिक्षण केन्द्रों को पेशगी (अनुबंध—झ)	35-43
15.	बाहरी व्यक्तियों को पेशगी (अनुबंध—ट)	44
16.	स्टाफ को पेशगी (अनुबंध—ठ)	45
17.	अदा की गई वैधानिक देयताएं (अनुबंध—ड / I)	46
18.	अन्य देयताएं (अनुबंध—ड / II)	47
19.	प्रशिक्षण केन्द्रों से पेशगी की वापसी (अनुबंध—ढ)	48
20.	स्टाफ से पेशगी की वापसी (अनुबंध—ण)	49
21.	संदर्भ किस्मों के रखरखाव की पेशगी की वापसी (अनुबंध—ओ)	50
22.	पीपीवी और एफआरए की उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियां (अनुसूची—24)	51-56
23.	आकस्मिक देयताएं तथा लेखों की टिप्पणियां (अनुसूची—25)	57-65
24.	कैग की पृथक लेखा रिपोर्ट	66-72

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र

राशि (रुपये में)

कॉर्पस / पूँजी निधि	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कॉर्पस / पूँजी निधि	1	402,074,246	285,360,795
आरक्षित राशि और अतिरिक्त राशि	2	-	-
निर्धारित / स्थायी निधि	3	-	-
मुरक्षित ऋण तथा उधारियां	4	-	-
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	5	-	-
आगे खिसकाई गई ऋण देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	7	123,527,750	152,845,257
योग	525,601,996	438,206,052	
परिसम्पत्तियां			
अचल परिसम्पत्तियां	8(A)	30,025,715	29,977,679
घटाएं : संचयित मूलदात्स		24,983,197	24,139,774
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां		5,042,518	5,837,905
पूँजीगत कार्य में प्रगतियां	8(B)	17,838,219	17,838,219
निवेश – निर्धारित / स्थायी निधियों से	9	-	-
निवेश – अन्य से	10	-	-
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, पेशगियां आदि	11	502,721,259	414,529,928
फुटकर वय		-	-
(जो बट्टे खाते में न डाली गई हों या समायोजित न की गई हों)			
योग	525,601,996	438,206,052	
उल्लेखनीय लेखा नीतियां			
आकारिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां	24		
	25		
			-

बी. राजेन्द्र

अम्बेक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

आर.सी.अश्वाल

महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय और ख्य लेखा

राशि (रुपये में)

आय	अनुसूची	प्राधिकरण निधि		जीव निधि	
		2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
बिक्री / सेवाओं से हुई आय	12	-	-	-	-
अनुदान / सहायता	13	197,451,964	158,115,040	57,167,000	18,500,000
शुल्क / चांदा	14	19,532,600	29,849,800	4,722,123	7,665,296
निवेदों से हुई आय	15	-	-	-	-
रोपटी, प्रकाशनों आदि से हुई आय	16	-	-	-	-
अर्जित व्याज	17	22,411,926	14,288,012	985	2,311,840
अन्य आय	18	656,856	601,581	2,805,487	-
तेलार माल के चाँदक में बूझ (गिरवट) और चालू कार्य	19	843,422	1,213,294	-	-
आस्थरित आय (अचल सम्पत्तियों पर मूलधार)		-	5,543,859	-	1,304,000
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध क)					
कुल (क)		240,896,768	209,611,586	64,695,595	29,781,136
खाय					
चापाना व्यय	20	91,228,598	49,152,403	-	-
अन्य प्रशासनिक आय आदि	21	20,047,710	45,415,679	15,636,572	-
अनुदान / चांदों आदि पर हुआ ख्य	22	58,308,868	49,460,328	-	-
व्याज	23	17,783	10,985	633	630
मूलधार (अनुपसूची 8 से सम्बद्ध वर्ष के अंत में निवल योग)		843,422	1,213,294	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध-क)		1,999,041	-	-	-
कोपा (ख)		172,446,222	145,252,689	15,637,205	630
ख्य की तुलना में आय घटाकर शेष राशि (कु-ख)		68,450,446	64,358,897	49,058,390	29,780,506
विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरण (प्रत्येक को अलग—अलग बताए)		-	-	-	-
सामान्य आरक्षित निधि को / से हस्तान्तरण		-	-	-	-
कर्पोरेश्न / पूँजी निधि तक ले जाई गई शेष अतिरिक्त राशि (अंतर)		68,450,446	64,358,897	49,058,390	29,780,506
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	24				
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25				

21/03/2017
नी. राजेन्द्र

अमरीका
परिषदी और एकाग्रण, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

20/03/2017
आर.सी.अमरावत
महा उपायकर
वित्तीय सलाहकार
परिषदी और एकाग्रण, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पैदा किस और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष की प्राप्तिया एवं आवश्यिया

प्राप्तिया	चालू रक्त	पिछले वर्ष	आवश्यियां	चालू रक्त	पिछले वर्ष
1. आवश्यिक			1. ज्यप		
क. मानव नकद राशि	22,815	44,593	क. खाना व्यय	19,920,282	20,167,178
ख. दूकं ऊपिशेष			ख. प्रशासनिक व्यय	39,142,533	21,506,248
एसवीआई (सीड तोखा खासियत)	52,271,445	64,978,652	सिंहिकट बैंक		
लोग-देन में वापसी	32,976,805	7,453,097	2. निहियों के विकल आवश्यिया		
एस बी आई जीन निषि	-	19,630	क. विद्यमान डीप्रत्यक्ष केन्द्र (अंतर्बंध व ग)	47,131,161	39,179,207
गुवाहाटी बैंक	32,443	24,157,718	ख. न्यौ ईयाप्रस केन्द्र (अंतर्बंध व व ड.)	11,225,966	21,516,314
रातो बैंक	26,083	3,024	ग. संस्था प्रयोगालाभ (अंतर्बंध च)	-	-
कम: स्थान आवश्यक (बैंक)	127,740,142	-	घ. कोल्ड जीन बैंक (अंतर्बंध व ज)	3,524,952	3,113,386
एसवीआई-5,87,55,190					
सिंहिकट बैंक-2,72,93,143					
एस बी आई (जीन निषि)					
2. भारत संकारन से प्राप्त अवृद्धान	197,500,000	158,544,000	3. अचल सम्पत्तियों पर व्यव तथा तुंकी कार्य में प्राप्ति		
3. बैंक में जमा राशि पर प्राप्त आवाज			क. अचल सम्पत्ति की खर्चरी (प्राधिकरण)	48,036	428,960
जीन निषि	-	1,858,911	ख. चालू पूँजी कार्य पर व्यय	-	-
प्राधिकरण निषि	14,633,206	6,853,854			
प्राधिकरण घट्टी पर प्राप्त व्याज	81,96,643				
सीधीफक जमा राशि पर प्राप्त व्याज	10,313				
एवंवी(सिंहिकट बैंक) पर प्राप्त व्याज	5,79,100				
खेप पर प्राप्त व्याज (एसवीआई)	38,53,395				
खेप पर प्राप्त व्याज (सिंहिकट)	19,93,845				
पुंजी खाता (प्राधिकरण निषि)	-	210,000	4. प्रशिक्षण केन्द्रों को खेगी (अंतर्बंध च)	17,712,267	27,998,875
प्रशिक्षण केन्द्रों से प्राप्त खेगीया (अंतर्बंध-म)	313,411	444,293	5. बाहरी प्राप्ति को येगी (लेनदेन उत्तरांतों/संस्थानों को य)	1,101,075	978,591
6. ईयूप्र विद्या-निर्देशों के विकास के लिए खेगीयों की वापसी तिऱ ईयूप्र			6. फैरिंग मशान को प्राप्त- खरा	100,000	250,000
केन्द्र	163,141	304,783	7. जीन बैंक के लिए यांदाज	57,167,000	18,500,000
608,939	219,197	-	8. स्टाफ को येगी (लेनदेन च)	1,307,562	1,017,900
9. स्टाफ से खेगीयों की प्राप्ति: अंतर्बंध-न	351,181	-			
10. कोल्ड जीन निषि से खेगीयों की वापसी	148,050	-	10. वित्त प्रभार	17,945	11,729
11. फेरेंस किस्सों की देवेलप के लिए खेगीयों की वापसी (लेनदेन-ओ)	1,000,000	-			
12. फेरेल व्योवाहाला से खेगीयों की वापसी	265,600	-			
13. ईयूप्र सेस्ट व प्रयोगकाण प्राप्ति के लिए खेगीया			11. बैंक द्वारा टीक्किएस को कठीनी	199,483	-
प्राप्त ओवेन-पंजीकरण शूलक	10,141,600	15,304,600			
पीढ़ीजे अनिदान शूलक	107,500	141,600	12. नियादी जना	356,000	-
आपाति के नाइस के लिए शूलक	10,000	-			
वारिष्ठ शूलक-जीन निषि	4,722,123	8,792,574	13. आवासी वावासी जमाराशि	297,000	-
वारिष्ठ शूलक-प्राधिकरण	-	8,000	12. साचांड ख्रपत का वित्तसं	-	131,650,000
प्राप्त ईयूप्र पर्याप्त शूलक	8,278,500	12,430,000	13. जीन निषि	-	803,279
वारिष्ठ नवीराम शूलक	722,000	1,821,000	प्राधिकरण निषि	-	
निरिक्षण शूलक/कैस	273,000	5,000			
वारिष्ठ रिटैन कॉर्स	2,805,487	-			
अन्य आव	600	155,961	13. आरा को गई खेगियों देताएं (लेनदेन इक)	5,356,830	4,210,718
प्रगतान्त्रों की विकी 600	29,486	2,908			
पुराने समाप्त-पर्याप्त रददी की विकी			14. आप नवे (लेनदेन इक)	37,560	218,520
आगटेआई (310+60)	370	-			
टीक्किएस कठीनों का नियर्सल	81,077	52,242	15. आविशेष		
बैंक द्वारा विद्या नया अविभिन्न केन्द्र	-	224,608	क. ज्यादत (मीजद नकद ताशि)		
प्राधिकरण निषि से योगदान	57,167,000	18,500,000	प्राधिकरण	25,819	25,000
पूर्व अवधि तेजा	-	20,996	रातो शाखा	52	52
			गुगाहाटी शाखा	767	767

			च. कैफ अधिकारी (एमओडी सहित)	
11. स्वीप का नकदीकरण-एसवीआई	155,849,395	0		
12. स्वीप का नकदीकरण-एसवीआई-जीन	9,970,473	0		
13. स्वीप का नकदीकरण-सिंचिट	363,775	0		
11. मियादी जमा का नकदीकरण			भारतीय स्टेट बैंक	25,340,939
सेट्रल बैंक ऑफ इंडिया	63,754,768	106,421,975	स्थितिकॉट बैंक	40,484,983
इलाहाबाद बैंक	70,408,303	*	एसवीआई (जीन निधि)	65,009,845
12. सोशिएट जमाशि	658,000	144,000	उत्तरवर्ती बैंक	32,443
13. पुराने कैफों की चाषी की चापसी	-	38,557	रांधी बैंक	26,086
			स्वीप का निमाण-एसवीआई	207,403,000
			स्वीप का निमाण-एसवीआई-जीन	-
			स्वीप का निमाण-सिंचिट	21,970,000
			स्वीप का निमाण-सिंचिट	-
चाप	610,098,297	429,175,681	चाप	45,159,000
			चाप	-
			चाप	610,098,297
			चाप	429,175,683

जमा एकाऊ
जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहाकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

21/02
आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार

बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पौषा किरण और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

राशि रुपये में

	चालु वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 1 - कोष(कारपस)/ पूँजी निधि		
क) प्राधिकरण निधि		
वर्ष के आसंग के अनुसार शेष राशि	216,187,100	152,612,538
जोड़ें : प्राधिकरण निधि के लिए योगदान	48,036	428,960
घटाएं : मूल्य छास के लिए घटाव	(84,422)	(1,213,294)
जोड़ें (घटाएं) : आय तथा व्यय लेख से हस्तांतरित निवल आय (व्यय) की शेष राशि	68,450,446	68,450,446
	283,842,160	64,358,897
		216,187,100
ख) जीन निधि		
वर्ष के आसंग के अनुसार शेष राशि	69,173,695.00	39,393,189
जोड़ें : कोष(कारपस)/ पूँजी निधि के लिए योगदान	-	-
जोड़ें (घटाएं) : निवल आय की शेष राशि / (व्यय) आय और व्यय लेख से हस्तांतरित	49,058,391.00	118,232,086
	402,074,246	29,780,506
		69,173,695
वर्ष के अत में शेष राशि		285,360,795
अनुसूची 2 - आरक्षित तथा अतिरिक्त राशियाँ		
1. पूँजीगत आरक्षित राशि		
पिछले लेखे के अनुसार	-	-
वर्ष के दोरान प्राप्त राशि	-	-
घटाएं : वर्ष के दोरान कटौती	-	-
2. पुनर्मुट्ठाकृतात आरक्षित राशि		
पिछले लेखे के अनुसार	-	-
वर्ष के दोरान प्राप्त राशि	-	-
घटाएं : वर्ष के दोरान कटौती	-	-
3. विशेष आरक्षित राशि		
पिछले लेखे के अनुसार	-	-
वर्ष के दोरान प्राप्त राशि	-	-
घटाएं : वर्ष के दोरान कटौती	-	-
4. सामान्य आरक्षित राशि		
पिछले लेखे के अनुसार	-	-
वर्ष के दोरान प्राप्त राशि	-	-
घटाएं : वर्ष के दोरान कटौती	-	-
कुल		-

216,187,100

रुपये

मात्र

अध्यक्ष
परिषदी और एकाधार, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

216,187,100

रुपये

अध्यक्ष
भारतीय सलाहकार
परिषदी और एकाधार, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

राशि रूपये में

	चातूर्वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 3. निर्धारित/स्थायी निधियाँ	-	-
क. निधियों का आदि शेष	-	-
ख. प्राप्त की गई निधियाँ	-	-
1. दान/अनुदान	-	-
2. निधियों पर किए गए निवेश से आय	-	-
3. अन्य अतिरिक्त राशि (प्रकृति बताएं)	-	-
योग (क+ख)		
ग. उपयोग/निधियों के उद्देश्य पर व्यय		
1. पूंजी व्यय		
अचल सम्पत्तियाँ	-	-
अन्य	-	-
2. राजस्व व्यय		
वेतन, मजदूरी और भत्ते	-	-
किराया	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-
योग (ग)	-	-
समाप्त वर्ष पर निवल शेष राशि (क+ख+ग)	-	-

जप. षष्ठी २०१७
जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहाकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

२०१७
आर.सी.अग्रवाल

महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

२०१७
बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पौधा किरम और कृषक अधिकार संस्करण प्राधिकरण

31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 4. प्राप्त ऋण और उधारियाँ		राशि (लाखों में)	
		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. केंद्र सरकार	-	-	-
2. राज्य सरकार (विशिष्ट)	-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएँ	-	-	-
क. आवधिक ऋण	-	-	-
ख. प्राप्ति तथा बकाया व्याज	-	-	-
4. बैंक	-	-	-
क. आवधिक ऋण	-	-	-
ख. अन्य ऋण (विशिष्ट)	-	-	-
5. अन्य संस्थाएँ तथा इंजेसिया	-	-	-
6. डिब्बेचर और बॉण्ड	-	-	-
7. अन्य	-	-	-
	योग		

बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ


राशि: अपवे ने

अनुसूची 5 : आपाय्य कृषण और उद्यातियाँ	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (विशिष्ट)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएँ	-	-
4. वैकं	-	-
क. आवधिक कृषण	-	-
ख. अन्य कृषण	-	-
5. अन्य संस्थाएँ तथा एजेंसियाँ	-	-
6. विवेचर और वापद	-	-
7. स्थायी जमा	-	-
8. अन्य	-	-
योग	-	-

अनुसूची 6. अस्थगित कृषण देखताएँ	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. पूर्णी उपकरण तथा अन्य सम्पत्तियाँ की जमानात हारा प्राप्त स्थीकृतियाँ	-	-
ख. अन्य	-	-
योग	-	-

21/03/2017

 जे.पी. सिंह
 आर.सी.ओपवाल
 वित्तीय सलाहकार
 पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
 एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


 बी. राजेन्द्र
 अध्यक्ष
 पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
 एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	राशि (रुपये में)
अनुसूची 7 – चालू देयताएं और प्रावधान			
क. चालू देयताएं			
1. स्वीकृतियां			
2. छोटे क्रत्ति			
क. माल के लिए	-	-	
ख. अन्य के लिए	-	-	
ग. स्टाफ के लिए	-	-	
बकाया वेतन	1,196,464	1,002,681	
बकाया मजदूरी	-	-	
बकाया व्यय	1,436,187	186,372	
बकाया सामान्य सेवा प्रभार	-	-	
यात्रा भत्ता के लिए देयता	154,492	1,000	
विकित्सा व्यय के लिए देयता	-	-	
विद्यमान डीयूस केन्द्र के लिए	655,146	925,930	
नए डीयूएस केन्द्रों के लिए देयता	215,996	719,206	
फैल्ड जीन बैंक के लिए देयता	147,661	147,661	
	3,805,946	2,982,850	
3. प्राप्त पेशगियां			
वार्षिक शुल्क के लिए पेशगी	140,000	140,000	
वापसी योग्य वापसी शुल्क	96,000	96,000	
गलत तरीके से बैंक द्वारा जमा	-	224,613	
पंजीकरण शुल्क के लिए पेशगी/पंजीकरण शुल्क	285,600	-	
विभिन्न शुल्कों के लिए पेशगी	1,910,000	1,910,000	
पीपीजे के लिए शुल्कों के लिए पेशगी	53,600	53,600	
निविदा के लिए जमानत राशि	130,000	130,000	
	2,615,200	2,554,213	
4. एकत्रित व्याज जो बकाया नहीं था			
क. सुरक्षित क्रत्ति / उधारियां	-	-	
ख. असुरक्षित क्रत्ति / उधारियां	-	-	
5. वैधानिक देयताएं			
क. अतिवेद	-	-	
ख. अन्य	-	-	
टैकस झोत पर कटौती	141,032	193,393	
नई पेशन योजना	112,743	145,280	
लाइसेंस शुल्क	8,996	8,733	
सामान्य भविष्य निधि	50,000	52,000	
सामान्य भविष्य निधि क्रत्ति 2	-	-	
सार्वजनिक भविष्य निधि	8,000	16,000	
व्यवसाय कर		208	
अन्य	-	-	
गृह निर्माण अधिग्राम	-	-	
कन्दीय सरकर स्वास्थ्य योजनाएँ	-	-	
सीजीईजीआईएस	2,065	322,836	2,285
	322,836	2,285	417,899
6. अन्य चालू देयताएं			
जीन निधि के लिए देयता	-	-	
प्राधिकरण निधि के लिए देयता	722,000	16,806,196	
पौधा सुरक्षा भवन निर्माण के लिए पेशगी	50,000,000	50,000,000	
सीपीएफ निधि लेखा	802,000	336,000	
डीयूएस परीक्षण शुल्क के लिए देयता	31,612,000	83,136,000	31,612,000
	83,136,000	31,612,000	98,754,196
गोप (क)	89,879,982		104,709,158
प्रावधान			
1. कर के लिए	-	-	
2. उपाहर के लिए	3,147,561	2,100,158	
3. सेवानिवृत्ति पेशन	-	-	
4. संचयी छुट्टी नकदीकरण	3,429,207	2,335,942	
5. व्यापार वारंटियां / दावे	-	-	
6. विभिन्न केन्द्रों के दिए गए अनुदानों के विरुद्ध व्यय	24,160,000	23,300,000	
7. प्रक्रियण एवं जागरूकता कार्यक्रम के लिए व्यय	2,911,000	33,647,768.00	20,400,000
	33,647,768.00	20,400,000	48,136,100
गोप (ख)	89,879,982.00		48,136,100
मुहा गोप (क + ख)	89,879,982.00		152,845,258

ज्ञप्त एकादशी संस्कृत
 जे.पी. सिंह
 वित्तीय सलाहकार
 पीपीजी और एफआरए, भारत सरकार
 एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2/४२
 आर.सी.अधिकार
 महा पंजीकरण
 पीपीजी और एफआरए, भारत सरकार
 एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

A-21/संस्कृत
 श्री. राजेन्द्र
 अध्यक्ष
 पीपीजी और एफआरए, भारत सरकार
 एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
अनुसूची-8 : आचल परियाप्रतियाँ

विवरण	सकल ब्लॉक			मूलडास			इथारेंट काटनी			चालू वर्ष के अंत में पिछले वर्ष के अंत	
	वर्ष के आंखें में लागत/मूलांकन	वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्राप्ति	वर्ष के दौरान काटनी	वर्ष के अंत में लागत/मूलांकन	जैसा कि वर्ष के आंखें में	वर्ष के दौरान मूलडास	इथारेंट काटनी	वर्ष के दौरान काटनी	वर्ष के अंत तक खेत	चालू वर्ष के अंत में पिछले वर्ष के अंत	
क्र. 1 अचल समितियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. मूलि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. फिहेल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पटेवरी पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ईमारत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. फिहेल्ड जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पटेवरी की जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. खालिक फलेट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. शीमा क्षेत्र से इसर भूमि पर संचालन	1,344,654	-	-	1,344,654	557,084	78,757	-	-	63,5841	708,813	787,570
3 संयंत्र मशीनरी व उपकरण	3,161,207	-	3,161,207	1,788,910	205,845	-	-	-	1,994,755	1,166,452	1,372,297
4 वाहन	443,383	-	443,383	377,016	9,955	-	-	-	386,971	56,412	66,367
5 फोनीचर, फिल्मर	3,752,957	-	3,752,957	1,497,271	225,569	-	-	-	1,722,840	2,030,117	2,225,686
6 कार्यालय उपकरण	1,678,407	11,250	1,689,657	674,621	100,941	-	-	-	775,562	914,095	1,003,786
7 कम्प्यूटर / सञ्चाल उपकरण	16,268,266	36,786	16,305,052	15,952,789	200,322	-	-	-	16,153,111	151,941	315,477
8 पुस्तकालय में पुस्तकें	2,372,657	-	2,372,657	2,372,657	-	-	-	-	2,372,657	-	-
9 नलकूप तथा जलपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 अन्य अचल समितियाँ / सफाईयर/सौंदरी	956,148	-	956,148	919,427	22,033	-	-	-	941,460	14,688	36,721
चालू वर्ष का योग	29,977,679	48,036	-	30,025,715	24,159,775	843,422	-	-	24,983,197	5,042,518	5,837,904
पिछले वर्ष	29,548,719	443,247	14,287	29,977,679	22,926,480	1,213,294	-	-	24,139,774	5,837,905	6,622,239
च. चालू पंचांग कार्य										17,838,219	17,838,219
योग										22,880,737	23,676,123

ज्ञान एकावान
जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2/29

आर.सी.अंग्रेवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 9. नियांसित/स्थापी निषि से निवेश

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयरों में	-	-
4. डिवेंवरों तथा बाण्डों में	-	-
5. उप खापनाओं व संयुक्त कियाकलापों में	-	-
6. अन्य में (स्पष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 10. निवेश — अन्य

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयरों में	-	-
4. डिवेंवरों तथा बाण्डों में	-	-
5. उप खापनाओं व संयुक्त कियाकलापों में	-	-
6. अन्य में (स्पष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

जस्ता दफ्तर
ले.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार
पोषणी और एकाग्र, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2082
आर.सी.अपाल
महा अंतर्कार
पोषणी और एकाग्र, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

21563
वी. गोदान
आम्रपाल
पोषणी और एकाग्र, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पोषा किस्म और कृषक अधिकार संखण प्राधिकण
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 11 – चालु परिस्थितियाँ, क्रम तथा पेशियाँ

क्र. नंबर-परिस्थितियाँ	चालु वर्ष	राशि, रुपये में	पिछले वर्ष
1. बहु-सूची क. भंडर एवं पूर्जे ख. फुटकर औजार ग. मैजूद स्टैक हैयर माल चालु कार्य कल्या माल	-	-	-
2. छोटे क्रमा क. 6 माह की अवधि के बकाया क्रमा ख. अन्य	-	-	-
3. मौजूद नकद शेष राशि (धैक, ड्रैफ्ट, उच्चद, टिकटे) उच्चद मौजूदा नकद राशि मौजूद टिकटे	25,819 - 26,513	22,815 - 52,332	148,791
4. बैंक में शेष राशि क. अनुमति बैंकों में चालु खातों में	प्राधिकरण निधि (एसवीआई) जीन निधि (एसवीआई)	139,386,892 118,704,165	84,466,906 52,161,779
जमा खातों में बचत खातों में	जीन निधि प्राधिकरण निधि (ब्याज सहित)	134,163,071	-
सिडिकेट बैंक (प्राधिकरण) एसवीआई, युवहाटी एसवीआई, राठी बैंक – द्रांजिट में	113,443,983 32,433 26,086 - 371,593,558	5,683,663 32,433 26,086 - 276,533,938	-
घ) गेर-अनुमति बैंकों में चालु खातों में जमा खातों में बचत खातों में	-	-	-
	371,645,890	276,682,728	

21/03/2017

राजेन्द्र

अध्यक्ष
परिषदी और एकारण, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

21/03/2017

राजेन्द्र

आरोनी अध्यक्ष
सह-परिचयकार
परिषदी और एकारण, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

21/03/2017

राजेन्द्र

जी. राजेन्द्र
दिलीप सलाहकार
परिषदी और एकारण, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पौधा किम्ब और कृषक अधिकार संस्थण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

		बाड़ वर्ष	राशि अये में	राशि अये में शिवले वर्ष
अनुसूची 11. बाड़ परिसम्पत्तियाँ ऋण, पेशियाँ आदि				
क्ष. ऋण पेशियाँ तथा अन्य परिसम्पत्तियाँ				
1. अन्य				
क. स्टाफ को	66,000	-	74,124	-
ख. क्रियाकलामों / उदारक्रमों से संबंधित अन्य प्रविद्धियाँ	-	-	-	74,194
ग. अन्य, फ्रान डाकघर को पेशी	70	66,070	70	
2. प्राप्त मूल्य के लिए नकद या अन्य किसी रूप में वसूली योग्य पेशियाँ और अन्य राशियाँ				
क. पूंजी लेखे में				
ख. प्राधिकरण भवन के लिए निर्माण के लिए पेशी राशि	5,216,630		5,216,630	
य. पूर्ण अदायग्रीया				
पूर्ण पेशी व्यय	34,386	38,633	38,633	
डेयरेस परिवहन शुल्क के विरुद्ध पेशी	1,566,500	7,736,500	7,736,500	
प्रसिद्धान के लिए पेशी	31,090,955	35,129,568	35,129,568	
बाहरी पक्षों के लिए पेशी	1,009,423	632,560	632,560	
नए डिश्युरस परिवहन केन्द्रों के लिए पेशी	17,975,576	27,837,242	27,837,242	
पुराने डिश्युरस परिवहन केन्द्रों के लिए पेशी	58,867,793	38,350,983	38,350,983	
फिल्ड जीन बैंक के लिए पेशी	2,063,013	1,211,763	1,211,763	
संदर्भ प्रयोगशालाओं के लिए पेशी	1,261,611	2,261,611	2,261,611	
		119,085,887		118,415,491
ग. अन्य				
संगीणक आर्टी जमा	68,1,043	-	-	
पुनर्ग्राहि योग्य आवकर	1,580,218	378,172	378,172	
प्राच्य योग्य संप्रीति	45,000	45,000	45,000	
बैंक द्वारा सीधीएक जमा खाते	-	192,000	192,000	
दूसरा प्राच्य	7,873	7,873	7,873	
जीन निविं से वसूल की गई राशि	722,000	-	-	
प्राधिकरण निविं से वसूल की गई राशि	-	3,036,134	16,806,196	17,429,242
3. संचित आय				
क. निधिहाति / बंदोबस्ती निधियों के निवेश से	-	-	-	
ख. अन्य निवेश से	-	-	-	
ग. ऋण तथा पेशी से	-	-	-	
घ. अन्य				
1) एसवीआई में एमओडी खाते पर अर्जित आज	6,959,005	-	-	
2) वसूली योग्य वार्षिक शूलक	1,928,000	1,928,000	1,928,000	
3) एसवीआई मुहावरी पर अर्जित आज	273	8,887,278	273	1,928,273
योग (ख.)			131,075,369	137,847,200
मुक्त योग (कु-ख.)			502,721,259	414,529,928

2/26/2017

राशि अये में
शिवले वर्ष
अवृत्त
परिवहन विभाग
भवा पंजीकरण
परिवहन विभाग, भारत सरकार
एनएससी परिवहन, नई दिल्ली-100012

2/26/2017

राशि अये में
शिवले वर्ष
अवृत्त
परिवहन विभाग
भवा पंजीकरण
परिवहन विभाग, भारत सरकार
एनएससी परिवहन, नई दिल्ली-100012

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	राशि, रुपये में
1. विकी/सेवाओं से आय			
1. विकी से आय	-	-	-
क. तैयार माल की विकी	-	-	-
ख. कच्चे माल की विकी	-	-	-
ग. रद्दी की विकी	-	-	-
2. सेवाओं से आय	-	-	-
क. मजदूरी तथा प्रसंकरण प्रभार	-	-	-
ख. व्यवसायी/परामर्शदायी सेवाएं	-	-	-
ग. एजेंसी कमीशन और दलाली	-	-	-
घ. रखरखाव सेवाएं	-	-	-
ज.. अन्य	-	-	-
कुल	-	-	-

	197,451,964	158,115,040
अनुसूची 13— अनुदान /अनुदान (प्राधिकरण निधि)		
केन्द्र सरकार से	-	-
राज्य सरकार से	-	-
सरकारी एजेंसियों से	-	-
संस्थाओं / कल्याण निकायों से	-	-
अंतरराष्ट्रीय संगठनों से	-	-
अन्य	-	-
योग	197,451,964	158,115,040
अनुदान /अनुदान (जीन निधि)		
प्राधिकरण निधि से योगदान	57,167,000	15,500,000
योग	57,167,000	15,500,000

राज्य सरकार
पीपीली और एकारण, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

आरसीआरबाल
महा पंजीकार
पीपीली और एकारण, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पैषा किस्म और कृतक अधिकार संस्थण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 के लिए आय और व्यय का भाग बनो वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 14 : शुल्क/अंशदान – प्राधिकरण निवि

	चाहूँ वर्ष	पिछले वर्ष	राशि, रुपये में
डीयूएस परीक्षण शुल्क प्रवेश शुल्क/आवेदन शुल्क अंशदान / पीपीटे शुल्क	8,278,500 10,141,600 107,500	12,410,000 15,304,200 141,600	
संगठनी / कार्यक्रम शुल्क प्रसारशृंखल / डीयूएस शुल्क विरोध के नोटिस के लिए शुल्क वार्षिक नवीकरण शुल्क विस्तार स्वीकृति के लिए शुल्क वार्षिक शुल्क निरीक्षण शुल्क	- 10,000 722,000	- 10,000 1,981,000	
	- -	- 8,000	
	273,000	5,000	
			29,849,800
योग	19,532,600		
शुल्क/अंशदान – जीन निवि बीजों की विक्री से हिस्सा वार्षिक शुल्क	3,278,516 1,443,607	6,081,630 1,583,666	
			4,722,123
योग	7,665,296		

अनुसूची 15 : निवियों से आय

	चाहूँ वर्ष	पिछले वर्ष	निवि – अन्य	पिछले वर्ष
1. व्याज				
क. सरकारी प्रतिमूलियों पर	-	-	-	-
ख. अन्य बाट/डिवेलर	-	-	-	-
2. लामांशा				
क. शेयरों पर	-	-	-	-
ख. म्युचुअल फंड प्रतिमूलियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-
योग	-			
निवासित/अस्थायी निवियों को हस्तांतरित	-			

21/03/2017

बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

21/03/2017

आर.सी.अग्रवाल

महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

21/03/2017

जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
 31 मार्च 2017 के लिए आय और ख्य का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

		ताशि, रुपये में
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 16 : रखरही प्रक्रमानु आदि से आय		
रेंयलटी से आय	-	-
प्रकाशनों से आय	-	-
अन्य	-	-
योग		
अनुसूची 17 : अर्जित आज (प्राधिकरण लिखि)		
1. सावधि जमा पर		
अनुमूलित बैंकों से		
सावधि जमा (एसवीआई) एमओडी खाता (एसवीआई)	13,594,711	4,358,960
सावधि जमा (इलाहाबाद बैंक)	5,341,413	967,426
सावधि जमा (बैंक ऑफ बड़ादा)	-	408,303
सावधि जमा (बैंक ऑफ इंडिया)	-	6,022,589
सावधि जमा (देना)	2,855,230	-
सावधि जमा (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) गैर-अनुमूलित बैंक से	2,338,634	-
संस्थानों से	-	-
अन्य	41,472	-
2. बचत जमां पर		
अनुमूलित बैंकों से (संस्टिकेट बैंक)	579,100	191,056
अनुमूलित बैंकों से (एसवीआई)	-	1,044
डाकघर बचत खाते से	-	-
अन्य	-	-
3. ऋण पर		
कर्मचारियों/स्ट्राफ से	-	-
अन्य	-	-
4. लेनदारों तथा अन्य प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त व्याज	-	-
5. एमओडी खाते पर व्याज	-	-
योग	22,411,926	14,288,012
अर्जित आज (लिन लिखि)		
1. सावधि जमा पर		
अनुमूलित बैंकों से (एसवीआई)	-	786,032
बैंक ऑफ इंडिया से एमओडी खाते पर अर्जित व्याज	-	1,523,808
योग	985	2,311,840


पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि, रुपये में

अनुसूची 21. अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (प्राधिकरण)	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
सामान्य सेवा व्यय	-	980,355.00
बिजली तथा जल व्यय	230,770.00	269,474.00
प्राधिकरण बैठकों पर व्यय	925,262.00	1,326,388.00
प्रदर्शनियां, कार्यशालाओं व संगोष्ठियों पर व्यय	404,336.00	97,623.00
प्रशिक्षण, जागरूकता व कार्यक्रमों पर व्यय	3,578,019.00	28,119,089.00
कार्यशालाओं व जागरूकता कार्यक्रमों पर व्यय	233,600.00	153,752.00
प्राधिकरण बैठकों पर व्यय किराया प्रभार — समिति कक्ष	-	-
किराया प्रभार — उपकरण	2,065,188.00	1,804,146.00
किराया प्रभार — वाहन	141,568.00	113,381.00
सत्कार व्यय	8,935.00	5,349.00
बोगा	125,341.00	44,350.00
फुटकर व्यय	52,684.00	75,167.00
समाचार पत्र	858,345.00	1,213,582.00
डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन	3,226,828.00	3,360,201.00
मुद्रण तथा लेखन सामग्री	15,105.00	-
व्यवसायिक शुल्क	939,996.00	1,118,033.00
समाचार पत्र में प्रसार और विज्ञापन	714,673.00	923,352.00
किराया, दरें और कर	1,730,453.00	379,508.00
रखरखाव व मरम्मत	613,178.00	657,023.00
सिटिंग व्यय	122,120.00	198,800.00
यात्रा व्यय — घरेलू — स्टाफ	1,644,256.00	2,339,793.00
व्यय — घरेलू — विशेषज्ञ	2,417,053.00	2,236,313.00
यात्रा व्यय — विदेश — स्टाफ	-	-
योग	20,047,710.00	45,415,679.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (जीन निधि)		
कार्यक्रम प्रबंधन पर व्यय	61,034.00	-
विविध व्यय	190,618.00	-
मुद्रण तथा लेखन सामग्री पर व्यय	302,534.00	-
यात्रा व्यय — घरेलू — स्टाफ	2,272.00	-
व्यय — घरेलू — विशेषज्ञ	776,795.00	-
वाहन किराये पर व्यय	13,396.00	-
प्राधिकरण बैठकों पर व्यय किराया समिति कक्ष	44,000.00	-
प्रतिदान व पुरस्कार	13,450,000.00	-
प्रदर्शनियों व कार्यशालाओं पर व्यय	795,923.00	-
योग	15,636,572.00	-


ज्ञप्त इकाई
जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
 31 मार्च 2017 के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

राशि, रुपये में

अनुसूची 22 अनुदानों / आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
संस्थाओं / संगठनों को दिए गए अनुदान संस्थानों / संगठनों को दी गई आर्थिक सहायता अंतरराष्ट्रीय संगठनों (आईपीजीआरएफए) को दिए गए योगदान	58,308,868 - -	49,460,328 - -
योग	58,308,868	49,460,328
अनुसूची 23 : व्याज	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
निश्चित व्याज पर अन्य विशिष्ट ऋण (बँक प्रभार सहित) अन्य	- 17,783 -	- 10,985 -
योग	17,783	10,985
जीन निधि		
अन्य विशिष्ट ऋण – बँक प्रभारों सहित – जीन निधि	633	630.00
योग	633	630.00

A-2/15467

बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2/29

आर.सी.अश्वाल
महा पौजीकर

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

परम् एकान् एक

जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

अनुबंध -क

पूर्वविधि समायोजन लेखा

राशि , रुपये में

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	नामे	जमा	शेष राशि
प्राधिकरण निधि				
1 प्रशासनिक व्यय		22,790	-	22,790
2 प्रशिक्षण व्यय		686,207	-	686,207
3 विद्यमान डीयूप्स		3,427,671	2,613,106	814,565
4 नए डीयूप्स		414,913	-	414,913
5 स्टाफ		61,466	-	61,466
योग		4,613,047	2,613,106	1,999,941

पूर्वविधि समायोजन लेखा

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	नामे	जमा	शेष राशि
जीन निधि				
1 वार्षिक शुल्क		-	-	-
योग		-	-	-

जन्म अकादमी
ले.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआर, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

21/29
आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकरण
पीपीवी और एफआर, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

21/29
बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
पीपीवी और एफआर, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

विद्यमान डीप्स केन्द्रों से प्राप्त राशि के बारे दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	डीप्स केन्द्र का नाम	फसल	01.04.2016 को आविष्कार	2015–16 के और पूर्व वर्ष के दोरान व्यय	01.04.2016 को संशोधित आविष्कार	अन्य केन्द्रों से/को हस्तान्तरित	2016–17 के दोरान जारी की गई राशि	वापिस किये गये रुपये	2016–17 के दोरान व्यय	31.03.2017 के अंत शेष
1	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय	जिमिकंद और अरबी	250,000	240,496	9,504	-	-	-	-	9,504
2	एनवीआरजीआर (क्षेत्रीय स्टेशन) शिमला	चौलाई	19,041	-	19,041	-	-	-	-	19,041
3	आईआरआई, आनुवांशिकी विभाग, नई दिल्ली		35,026	-	35,026	-	-	-	-	35,026
4	गोविन्द चत्तम पंथ कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	जार	27,390	-	27,390	9,000	-	-	-	36,390
5	आईआईटीआर, बैंगलोर	रजनीगंगा	-	-	-	40,284	-	-	-	40,284
6	एनवीआरआई, लखनऊ	कैना	54,656	-	54,656	-	-	-	-	54,656
7	केंद्रीय कांद फसल अनुसंधान संथान, त्रिवेंद्रम	शक्रकफंडी और कासाव	15,058	-	15,058	-	50,000	-	-	65,058
8	एनडीयूटी, फैजाबाद	जौ	79,540	-	79,540	-	-	-	-	79,540
9	एनवीआरआई, लखनऊ (लॉडिंगलस किस्म)	गलोडिंगलस	79,663	-	79,663	-	-	-	-	79,663
10	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, पुणे	चाइना एस्टर	100,000	-	100,000	-	-	-	-	100,000
11	एसएफआरआई, ईटानगर	आकिंड	100,000	-	100,000	-	-	-	-	100,000
12	पुष्पविज्ञान निदेशालय, आईआरआई, नई दिल्ली	ग्लोडिंगलस	105,034	-	105,034	-	-	-	-	105,034
13	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	परवल	51,551	-	51,551	-	64,449	-	-	116,000
14	चावल अनुसंधान निदेशालय, करक	चावल	117,745	-	117,745	-	-	-	-	117,745
15	पुष्पविज्ञान निदेशालय, आईआरआई, नई दिल्ली	गुलाब एवं गुलदाउरी	124,295	-	124,295	-	-	-	-	124,295
16	आईआईटीआर, बैंगलोर	चमेली	-	-	-	33,023	100,000	-	-	133,023

117	आईआईआरआर, हैदरबाद	चावल	1,478,051	1,008,809	469,242	412,000	1,067,897	-	-	1,949,139
118	मवका अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली	मवका	-180,764	-	-180,764	452,000	2,170,514	-	-	2,441,750
119	सीआईसीआर, कोयम्बतूर	कपास	2,979,810	968,764	2,011,046	525,000	825,125	-	2,024,227	1,336,944
120	सीआईसीआर, नापारु	कपास	1,041,667	-1,719,761	2,761,428	245,000	944,387	-	964,157	2,987,158
121	भारतीय सभ्यी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	भिंडी, बँगान, टमाटर, पत्तागामी, फलगामी	5,237,471	1,227,970	4,009,501	928,000	224,000	-	2,994,997	2,166,504
122	डीटीआर एंड ईसीटीबी, कुरसिंग	चाय	100,000	-	100,000	-	-100,000	-	-	-
123	आईआईएचआर, बैंगलोर	कारबोनशन	-	-	-	-	-	-	-	-
124	आईआईएचआर, बैंगलोर	चौलाई	-	-	-	-	-	-	-	-
125	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	चना	-	-	-	-	-	-	-	-
126	टोकलई प्रयोगिक अनुसंधान केन्द्र, जोरहाट	चाय	-11,235	-	-11,235	11,235	-	-	-	-
127	सीआईटीएच, श्रीनगर	स्ट्रावेरी	-42,000	-	-42,000	-358,000	400,000	-	-	-
128	सीआईटीएच, श्रीनगर	आडू व बेर	146,538	486,961	(340,423)	358,000	450,000	-	450,000	17,577
129	आईआईपीआर, कानपुर	अरहर	-	-	-	-	132,965	-	132,965	-
130	सीमेप, तखतकु	ओणधीय पौधे	(15,421)	-	(15,421)	-	312,500	-	297,079	-
131	जयंकर तेलगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, हैदरबाद	-	308,599	-	308,599	413,000	908,431	-	1,630,030	-
	योग		48,864,741	14,735,920	34,128,821	7,945,046	47,131,161	229,345	30,107,890	58,867,793

21/2

बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

21/2

आर.अग्रवाल

महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार

एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

26	आई एफ जी ई. वी. कोवाल्कर	एलेवेस	450,000	-	450,000	-	-	-	-	450,000
27	तीर्थित नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर्	काल नींदेर व मारतीय चंदन	-	-	450,000	-	-	-	410,990	39,010
28	आईआईएचआर, वैगतुरुक	जरररा	-	-	450,000	-	-	-	435,560	14,440
29	एसकेप्यूटेक्नो-कै. श्रीनाराय	मदका और हैड टर्मिस	-	-	450,000	-	-	-	450,000	-
30	एसएचएपीएस इलाहाबाद	मदका और हैड टर्मिस	-	-	450,000	-	-	-	450,000	-
31	केंद्रीय कौशि अनुसंधान संस्थान, कानपुरक	कॉर्की	-	-	450,000	-	-	-	450,000	-
32	शूरभ, धारवड	लॉरिया	-	-	450,000	-	-	-	450,000	-
33	सोया सोबत्तराई कानपुरक	सुपारी	-	-	450,000	-	-	-	450,000	-
34	डॉ. वी. एस. कॉक्का कृषि विश्वविद्यालय, डोपाती	जायकल	-	-	450,000	-	-	-	450,000	-
35	सोयाईसप्च शैक्षणिक	खवरू	-	-	450,000	-	-	-	450,000	-
36	काजी, जोधपुर	कुड़ी, नीट, तुकार, लाल्य	204,177	-	204,177	-	270,823	-	291,711	183,289
37	सोयाईसप्च, बीकानेर	जामुन	218,700	-	218,700	-	256,744	-	-	475,444
38	सोयाईसप्च बीकानेर	केलोकोरिया	493,446	-	493,446	-	-	-	-	493,446
39	डॉ. वाई एस. प्रसाद बागवानी एवं वाचिकी विश्वविद्यालय, सोलन	शीघ्रकथानं	500,000	-	500,000	-	-	-	432,890	67,110
40	काजी, जोधपुर	कुड़ी, नीट, तुकार, लाल्य	388,709	365,365	23,344	-	491,656	-	-	515,000
41	केंद्रीय उपोषण वामपाणी संस्थान, लखनऊ	ओंनला	380,000	250,466	129,534	-	420,466	-	330,425	219,575
42	केंद्रीय उपोषण वामपाणी संस्थान, लखनऊ	जामुन	200,000	123,256	76,744	-	473,556	-	309,634	240,666
43	केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पाटे लवयर	रुंग, उड़द, लौरिया, चटे	446,000	473,465	(27,465)	-	646,000	-	-	618,535
44	डॉ. वी. एस के. यौ, डोपाती	जायकल	204,367	-	204,367	-	345,633	-	277,393	272,607
45	शूरभ, धारवड	कुड़ी, नीट, तुकार, लाल्य	382,972	-	382,972	-	566,028	-	-	949,000
46	निरस्क, भाटुआर्सं, नई दिल्ली	मूली और गाहर	1,107,095	426,563	680,532	-	423,960	-	555,636	548,836
47	भा.कृ.आर्सं, नई दिल्ली	नींदू और पमल	450,000	-	450,000	-	900,000	-	-	1,350,000
48	आईआईएचआर, कैनपुरक		4,529,004	-	4,529,094	(2,296,949)	85,000	-	-	2,317,145
49	आईआईएआर रिचर्च कॉम्पौजिन्स नेह क्षेत्र, उमियम	करहल	-	-	-	-	300,000	-	-	300,000
50	शोरसकंकली जाती	दालं, सेवली व अनाज	-	-	-	-	450,000	-	-	450,000
	यांग		16,510,449	3,366,214	13,144,235	-1,775,046	10,781,966	163,141	4,012,433	17,375,576

वी. खोल्के

परिविकी और एक्सप्रेस, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

आर.सी.अग्रवाल

परिविकी और एक्सप्रेस, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

अनुबंध- च अनुबंध- च
राशि रूपयों में

संदर्भ प्रयोगशालाओं से प्राप्य राशि को दर्शने वाला विवरण						
क्र. सं.	केन्द्र का नाम	01.04.2016 को आविशेष	2015-16 और पिछले कार्य के दौरान राशि	01.04.2016 को संशोधित शेष	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2016-17 के दौरान जारी राशि
1	एनवीपीजीआर, जेव रसायन विज्ञान परीक्षण, नई दिल्ली	81,978	-	81,978	-	-
2	सीआरआरआई, कटक	49,714	-	49,714	-	-
3	एनआरसीपीबी, नई दिल्ली	209,719	-	209,719	-	-
4	भा.कृ.अ.प. इकाई, सीआईसीआर, नागपुर	569,384	-	569,384	-	-
5	परियोजना निदेशक, डीआओआर, हैदराबाद	146,945	-	146,945	-	-
6	निदेशक, आईआईएचआर, बंगलुरु	203,871	-	203,871	-	-
7	परियोजना निदेशक, डीएमआर, नई दिल्ली	1,000,000	-	1,000,000	-	-
	योग	2,261,611	-	2,261,611	-	1,261,611

अ-21/नम्बर

बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2162

आर.सी.अंग्रेज

महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

जनम ब्रह्माचार्य

जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

अनुबंध छ
राशि, रूपये में

जीन बैंक तथा फोल्ड जीन बैंक से प्रायः राशि को दर्शाने वाला विवरण						
क्र. सं.	केन्द्र का नाम	01.04.2016 को आदिशेष	2015-16 और पिछले वर्ष के दौरान व्यय	01.04.2016 को संशोधित आदिशेष	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2016-17 के दौरान जारी राशि
1	बीएटू, बनारस	200,000	138,163	61,837	-	1,000,000
2	डॉ.. बाला साहेब कॉक्कण कृषि विद्यापीठ, डिल्ली	44,931	-	44,931	-	705,069
3	डॉ.. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	698,796	563,267.00	135,529	-	565,951
4	एन्डीपीजीआर, नई दिल्ली	268,036	-	268,036	-	878,932
	गोग	1,211,763	701,430	510,333	-	3,149,952
					24,555	24,555
					1,572,717	1,572,717
						2,063,013

१०८२
जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआर, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

२१८२
आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआर, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

१०२१८३
बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
पीपीवी और एफआर, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

अनुबंध ज
राशि, रूपयों में

जीन बैंक तथा फील्ड जीन बैंक को अदा की जाने वाली राशि को दर्शाने वाला विवरण						
क्र.सं.	केन्द्र का नाम	01.04.2016 को आदि शेष	2015–16 तथा पिछले वर्षों के दौरान च्याय	01.04.2016 को संशोधित आविष्कार	अन्य केन्द्र से/ को हसायतण	2016–17 के दौरान जारी राशि
1	काञ्जी, जोधपुर	(147,661)	-	(147,661)	-	375,000
	योग	(147,661)	-	(147,661)	-	375,000

अंत शेष

31.03.2017 को

शेष

बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

आर.सी.अग्रवाल

महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

प्रतिक्षण केन्द्रों को पेशा								
क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01.04.2016 को आदिशम	2015-16 और पिछले कार्य के दोगन वर्ष	01.04.2016 को संशोधित आदिशम	अन्य केन्द्रों से/को दूसरांतरण	जारी राशि	2016-17 के दोगन वर्ष	31.03.2017 को अंत शेष
1	आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, अंगारु	1,120,000	-	1,120,000	-	-	-	1,120,000
2	अपर निदेशक (एफसी), कृषि विश्वाग, सिविकम	80,000	-	80,000	-	-	-	80,000
3	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद, गुजरात	241,819	-	241,819	-	-	-	241,819
4	अरम संकृषि विश्वविद्यालय, जोरहट, (गोप्य)	520,000	-	520,000	-	-	-	520,000
5	बानारस हिंदू विश्वविद्यालय, बाराणसी (बीएचयू) मिर्जपुर	240,000	-	240,000	-	-	-	240,000
6	बिहार यन्द कृषि विश्वविद्यालय, कल्पाणी (बीसीकेडी)	1,270	-	1,270	-	-	-	1,270
7	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर बीएचयू	-	-	-	-	-	-	-
8	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची (बीएचयू)	99,417	-	99,417	-	-	-	99,417
9	बीमरास प्रशिक्षण संचालन	-	-	-	-	-	-	-
10	कंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लॉकर, (सी ए आर आई)	185,192	-	185,192	-	-	-	185,192
11	कंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मथिगुर, (सी ए चू)	80,000	-	80,000	-	80,000	80,000	80,000
12	कंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इमफाल	320,000	-	320,000	-	-	-	320,000
13	कंद्रीय क्रापस अनुसंधान संस्थान, कोयाक्कुर, सेमीआईसीआर	39,600	-	39,600	-	-	-	39,600
14	कंद्रीय क्रापस अनुसंधान संस्थान, नागपुर, सीआईसीआर	249,760	70,760	70,760	179,000	-	-	179,000
15	कंद्रीय औषधीय एवं सांगठित पैदा संस्थान, लखपत्र (सीआईएग्मपी)	-	-	-	-	-	-	-
16	कृषि आर ग्रामीण विकास केन्द्र	-	-	-	-	-	-	-
17	सो ई ओ, ग्रामीण विकास एस्ट नोड्डा	80,000	-	80,000	-	-	-	80,000
18	चौथरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिंसर (सीमीएसचाएट्यू)	-	-	-	-	-	-	-
19	नियंत्रक, बीएसकेडी, डोपली केन्द्रीय औषधीय एवं सांगठित	84,022	49,880	34,142	-	-	-	34,142
20	नियंत्रक, च. एस के के विश्वविद्यालय, पालमपुर (कुरुक्षेत्र, कांगड़ा, सिसारां, बिलासपुर)	201,667	396,594	-194,927	400,000	-	-	205,073
21	नियंत्रक, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	114,701	-	114,701	-	-	-	114,701
22	नियंत्रक, आर ए चू बीकानेर	80,000	-	80,000	-	-	-	80,000
23	एसएफआरआई अस्त्राचाल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-
24	नियंत्रक, एस के यू ए एस टी, राजसी, जम्मू	765,630	-	765,630	-	-	-	765,630
25	नियंत्रक, वी एस एस के मी, महाराष्ट्र	80,000	-	80,000	-	-	-	80,000
26	नियंत्रक, सी के मी, छत्तीसगढ़	80,000	-	80,000	-	-	-	80,000
27	नियंत्रक, आई जी के वी, रायपुर (दिल्लीवाड़ा)	41,314	-	41,314	-	-	-	41,314
28	नियंत्रक, आई जी के वी मी, रायपुर	977,402	959,776	17,626	-	-	-	17,626
29	नियंत्रक, ते एन के मी मी, जबलपुर	934,564	753,689	180,875	-	-	-	180,875
30	नियंत्रक, के वी ए और एफ एस धू विदर	80,746	-	80,746	-	-	-	80,746
31	नियंत्रक, एम पी यू ए और टी, उदयपुर	439,433	-	439,433	-	-	-	439,433
32	नियंत्रक, एस मी वी मी यू ए आर टी, मरठ	565,572	50,919	514,653	-	-	-	514,653
33	नियंत्रक, एस डी ए चू गुजरात	54	-	54	-	-	-	54

34	नियंत्रक, शरे कस्मीर ए एस टी विचविद्यालय, जम्मू	-	-	-	-	-	-	-
35	नियंत्रक, शरे कस्मीर ए एस टी विचविद्यालय, श्रीनगर	1,186,269	-	1,186,369	-	-	-	-
36	नियंत्रक, ठी एन यू वी आई ए एस, चेन्नई	-	-	-	-	-	-	-
37	नियंत्रक, यू ए एस, रायपुर	720,590	-	720,590	-	-	720,590	-
38	नियंत्रक, वी वी यू परिचम बोगाल	80,000	-	80,000	-	-	80,000	-
39	नियंत्रक, एस के आर ए यू कीफानेर (ओलवर)	507,541	-	507,541	-	-	507,541	-
40	सीपीसीआरआई, केरल	-	-	-	-	-	-	-
41	सी आर आई जे ए एफ, बैरकातुर	1,250	-	1,250	-	-	-	1,250
42	सी आर आर आई, कटक	10,275	-	10,275	-	10,275,00	-	-
43	सी एस ए यू और टी, कानपुर	1,041,920	-	1,041,920	-	-	1,041,920	-
44	सी एस के एच पी के वी	-	-	-	-	-	-	-
45	डीएन, ओप्परेटी	-	-	-	-	-	-	-
46	दीन दयाल अनुसंधान संशालन, मजगावन, सतना	160,000	57,644	102,356	-	-	102,356	-
47	निदेशक, कृषि निदेशालय, मेघालय	80,000	-	80,000	-	-	80,000	-
48	निदेशक, सी पी आर आई, विसमान, (मोर्दीपुरम शिमला)	160,000	45,140	114,860	-	-	114,860	-
49	महिला कृषि निदेशालय भुवनेश्वर	-	-	-	-	-	-	-
50	निदेशक, ई एस आर इंदौर	16,423	-	16,423	-	-	16,423	-
51	निदेशक, हॉटीकास पी टी आई, हजारीबाग	-	-	-	-	-	-	-
52	निदेशक, भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर – गोडा	18,415	-	18,415	-	-	18,415	-
53	निदेशक, कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, झांसी	80,000	-	80,000	-	-	80,000	-
54	निदेशक, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, त्रिपुरा	80,000	-	80,000	-	-	80,000	-
55	राष्ट्रीय अमर अनुसंधान केन्द्र	13,076	-	13,076	-	-	13,076	-
56	एनआरसीएसएस अजमेर	-	-	-	-	-	-	-
57	वाराणसी और खाद्य प्रसंकरण निदेशालय	-	-	-	-	-	-	-
58	निदेशक, वी पी के एस, अलमोड़ा	276,233	207,931	68,302	-	53,767	-	122,069
59	निदेशक, काजू अनुसंधान निदेशालय, दक्षिण कालांड	100,000	-	100,000	-	80,000	-	431,084
60	निदेशक, काजारी, जोधपुर	296,590	-	296,590	-	-	-	296,590
61	निदेशक, सी आई ए एच, कीफानेर (पर्यावरण)	80,000	-	80,000	-	-	-	80,000
62	निदेशक, सी आई एस, लखनऊ	240,000	159,952	80,048	-	-	80,048	(251,084)
63	निदेशक, सी आई टी एच, शनगर	320,000	-	320,000	-	-	320,000	-
64	निदेशक, सी एम एफ आर आई, कोटिय, केरला	80,000	-	80,000	-	-	80,000	-
65	निदेशक, कीड़ा परिसर, हैदराबाद	-	-	-	-	-	-	-
66	सीटीसीआरआई त्रिवेदी	-	-	-	-	-	-	-
67	निदेशक, कृषि विभाग, मिजारम	80,000	-	80,000	-	-	80,000	-
68	निदेशक, नामांडू प्रदेश कृषि निदेशालय,	-	-	-	-	-	-	-
69	निदेशक, कृषि विभाग, अलूप्परवाल प्रदेश	80,000	-	80,000	-	-	80,000	-
70	निदेशक, आई सी ए आर, आरसी, एन ई एच क्षेत्र उभियम, मेघालय	880,000	80,000	800,000	-	-	800,000	-
71	निदेशक, एन ई एच के लिए भा.कृ.अ.पु. बड़ापानी	80,000	-	80,000	-	-	80,000	-
72	निदेशक, आई आई वी आर, वाराणसी	240,000	-	240,000	-	-	240,000	-
73	निदेशक, एन वी पी जी आर, नई दिल्ली	32	-	32	-	-	32	-
74	एन आर सी फॉर लीची	-	-	-	-	-	-	-

75	कृषि आर चाई उत्पाद निवेशालय, भुवनेश्वर, ओडिशा	-	-	-	-	-	-
76	कृषि निवेशक, पांडुचेरी	-	-	-	-	-	-
77	निवेशक, सी. सी. आर आई. कर्मारांड	80,000	-	80,000	-	-	80,000
78	निवेशक, कृषि निवेशालय, गोआ	12,689	-	12,689	-	-	12,689
79	निवेशक, मा.कृ.अनुप, परिसर, पुरुषा गोआ	80,000	-	80,000	-	-	80,000,00
80	निवेशक, आई सी ए आर, आरसी, एन ई एच क्रेट्र उमियम, मेघालय	560,000	-	560,000	-	-	560,000
81	निवेशक, आई आई ए सी, रंसी	878	-	878	-	-	878
82	निवेशक, आई आई एच आर, बंगलुरु	-	-	-	80,000	-	80,000
83	आईआईपीआर कानपुर (च्छना)	-	-	-	-	-	-
84	आईआईपीआर कानपुर (मुलाप)	-	-	-	-	-	-
85	निवेशक, आई आई एस आर, कालीकट	80,000	-	80,000	-	-	80,000
86	निवेशक, एम एस एस आर एफ, चैन्नई	1	-	1	80,000	-	80,001
87	निवेशक, राष्ट्रीय निधन अनुसंधान केंद्र, मेदजिकेमा	160,000	-	160,000	-	-	160,000
88	निवेशक, अनुसंधान, एस एच आई ए टीसी एस, इलाहाबाद	80,000	80,000	-	80,000	-	80,000
89	झीआरमधार, भरतपुर	-	-	-	-	-	-
90	झीआरमधार, भरतपुर	-	-	-	-	-	-
91	निवेशक, आई ए आर आई, नई दिल्ली	229,866	-	229,866	-	20,000	329,866
92	मुंफली अनुसंधान निवेशालय, जूलनाडु, गुजरात	5,985	-	5,985	-	-	5,985
93	ओषधीय एवं सुगंधीय गैंधा अनुसंधान निवेशालय, आनंद, गुजरात	160,000	-	160,000	-	76,100	83,900
94	तिळहन अनुसंधान निवेशालय, हैदराबाद	8,440	-	8,440	-	8,440,00	-
95	याज एवं लहंडुन अनुसंधान निवेशालय, राज्युकुनार, कुण्ड	19,338	-	19,338	-	19,338,00	-
96	भारतीय गौर्ह एवं जी अनुसंधान संस्थान, करनातक	-	-	-	-	-	-
97	वी.सी. परिचम बंगाल, सीएडीसी कलकत्ता	-	-	-	-	-	-
98	एफ आर आई देहरादून	80,000	-	80,000	-	-	80,000
99	गोविंद बल्लम पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, देहरादून	883,652	450,309	433,343	-	-	433,343
100	देस, देशलपूर, गोधा	-	-	-	-	-	-
101	आई सी ए आर अनुसंधान पटना	80,000	-	80,000	-	-	80,000
102	आई सी ए आर झीएसआर, हैदराबाद	-	-	-	-	-	-
103	आई सी ए आर एनजारसीपी, शोलापुर	-	-	-	-	-	-
104	आई जी एफ आर आई, जासी	160,000	-	160,000	-	-	160,000
105	आई आई एच आर, बंगलुरु, शाखाकारी फसल प्रमाण	80,000	-	80,000	-	-	80,000
106	आई आई एच आर, बंगलुरु, सब्जी फसल प्रमाण	156,532	-	156,532	-	-	156,532
107	आई आई पी आर, कानपुर	-	-	-	-	-	-
108	आई आई एस आर, कालीकट	95,373	-	95,373	-	-	95,373
109	आई आई एस आर तख्ताक	-	-	-	-	-	-
110	आई आई वी आर, वाराणसी	2,246	-	2,246	-	-	2,246
111	जे.ए.यू.जूलनाडु	388,804	-	388,804	-	-	388,804
112	सपुत्र निवेशक, मा.कृ.अ.प. का. एन ई एच के लिए अनुसंधान परिषर, त्रिपुरा	80,000	-	80,000	-	-	80,000
113	कानाटक राज्य वैज्ञ निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-

114	केस्टल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केरलपु. (बेल्लनिकारा, पालघाट)	544,107	438,207	105,900	-	-	-	-	105,900
115	कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा (स्मैसकेजेटूरटी)	-	-	-	-	-	-	-	-
116	मराठवाडा कृषि विश्वविद्यालय, एम ए यू	60,000	-	60,000	-	-	-	-	60,000
117	एम सी के थी. राहुरी निदेशक, डी एम आर. भरतारु	113,729	60,800	52,929	-	-	-	16,452	36,477
118	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फेजाबाद एन डी यू ए एण्ड ई	720,000	-	720,000	-	-	-	720,000	-
119	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-
120	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-
121	एन ए यू. नरराठी. पुजरात	31,752	-	31,752	-	48,195.00	-	(16,443)	-
122	केंद्रीय नेटवर्किंग फल अनुसंधान संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-
123	एन आर सी सायाबीन	-	-	-	-	-	-	-	-
124	एन आर सी – ऑफिस, सिविकम	80,000	-	80,000	-	80,000	-	80,000	80,000
125	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, (आयूटी)	1,857,400	1,340,506	516,894	-	-	-	516,894	-
126	झीरसङ्गार मङ्ग. यूपी	-	-	-	-	-	-	-	-
127	पी ए यू. चुविधाना	5,218	-	5,218	-	20,000	-	79,984	(54,766)
128	कार्यक्रम समन्वयक, डी डेव्हल्प्टु. आर. कर्नातक	-	-	-	-	-	-	-	-
129	पी ई के थी. अकोला पूर्व कुलपाति, पश्चिम बंगाल, सी ए डी सी, कोलकाता	360,000	-	360,000	-	80,000	-	440,000	-
130	प्रधान निदेशक, खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विकास विभाग, तदेश्वर	160,000	-	160,000	-	-	-	160,000	-
131	रास ए आर केंवीके, चित्तोड़	-	-	-	-	-	-	-	-
132	केंद्रीकृ परिव्यवस्था निदनपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
133	केंद्रीकृ हलकोटी, कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-
134	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, शारदानगर, बारामही	80,000	-	80,000	-	-	-	80,000	-
135	केंद्रीकृ आहमदाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-
136	केंद्रीकृ अमरावती	-	-	-	-	-	-	-	-
137	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, जलना	1,054	-	1,054	-	-	1,054	-	-
138	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, घासाई	80,000	-	80,000	-	-	80,000	-	80,000
139	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, इरोड, तमिल नाडु	80,000	-	80,000	-	-	80,000	-	80,000
140	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, इटुर्ली, केरल	-	-	-	-	-	-	-	-
141	केंद्रीकृ जयपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
142	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के कुरुक्षेत्र	79,576	-	79,576	-	-	-	79,576	-
143	केंद्रीकृ, सुतार, कर्नाटक	1,422	-	1,422	-	-	-	1,422	-
144	केंद्रीकृ, तिरुवल्ला केरल	-	-	-	-	-	-	-	-
145	केंद्रीकृ, उदयपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
146	केंद्रीकृ, विष्वकार्णपुरम	-	-	-	-	-	-	-	-
147	केंद्रीकृ, पश्चिम त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-
148	उपासी– केंद्रीकृ, नीलगिरी	-	-	-	-	-	-	-	-
149	केंद्रीकृ, माजगप्तन, सतना	-	-	-	-	-	-	-	-
150	परियोजना निदेशक, पुष्पविज्ञान निदेशालय, आई ए आर आई, नई दिल्ली	80,000	-	80,000	-	-	-	80,000	-

151	केंद्रीक, जाम्हिकुंता	-	-	-	-	-	-	-
152	परियोजना निदेशक, डी एम आर. नई दिल्ली	78,259	-	78,259	-	-	-	78,359
153	परियोजना निदेशक, डी एम आर. हैदरबाद	527,000	-	527,000	-	-	-	527,000
154	राजा दिस्त्री सिंह के वी के, प्रसामान्दु	-	-	-	-	-	-	-
155	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, /आरएयू	-	-	-	-	-	-	-
156	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तपुर /आरएयू	-	-	-	-	-	-	-
157	राजसमाज विषय राजे सिंधिया कृषि विद्यापीठ, चालियर, (आर वी एस के दीपी)	231,761	-	231,761	-	-	-	231,761
158	राम कृष्ण आश्रम, दक्षिण 24 परमाना	-	-	-	-	-	-	-
159	आर ए यू पूर्णा, समस्तपुर बिहार	495,340	80,000	415,340	-	-	-	415,340
160	एसवीआई कायमचट्टू	-	-	-	-	-	-	-
161	सचिव, राम कृष्ण निशन आश्रम, संची	-	-	-	-	-	-	-
162	सचिव, विकास भारती, गुमला, झारखण्ड	182	-	182	-	-	-	182
163	सचिव, एफवीसीके, झगलार	-	-	-	-	-	-	-
164	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्पूर्ट (टीएनए) पैचाराई, कर्माकुमारी, धार्मसि	241,562	-	241,562	-	-	-	241,562
165	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, टीएनए	1,606	-	1,606	-	-	-	1,606
166	टोकलई अनुभव अनुसंधान संस्थान जोरहाट	-	-	-	-	-	-	-
167	यू ए और एस, शिमोगा, कर्नाटक	8,881	-	8,881	80,000	-	-	88,881
168	यू ए एस, मानलकाट	413,431	-	413,431	-	-	-	413,431
169	यू ए एस, धारामसूर यानीकी निष्ठाविद्यालय, सिरसी	160,000	-	160,000	-	-	-	160,000
170	यू ए एस, जी वी के वी बींगलोर	559,706	320,000	239,706	(80,000)	-	-	159,706
171	यू वी के वी, कूट विहार, पश्चिम बंगाल	480,000	-	480,000	-	-	-	480,000
172	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, घारवाड (सर्विद्वार फार्म, बीजापुर)	793,835	-	793,835	-	-	-	793,835
173	यू यू एच और एफ, पौड़ी, गढ़वाल, उत्तराखण्ड	240,000	122,888	117,112	-	-	-	117,112
174	डल्लू, यू ए और एक एस, कोलकाता	80,000	-	80,000	-	-	-	80,000
175	याई एस फी यू एच और एक सोलन (बिबा)	573,838	80,000	493,838	-	-	-	493,838
176	वाई एस और बांगलानी विश्वविद्यालय, अंधेरा प्रदेश	80,000	-	80,000	-	-	-	80,000
177	अंचलिक परियोजना निदेशालय, अंचल 8, बांगलुरु	1,490	-	1,490	-	1,840,000	-	1,490
178	राष्ट्रीय जीवविज्ञान अकादमी, चैन्नई	200,000	-	200,000	-	-	-	200,000
179	आंचलिक परियोजना निदेशालय, मा.कृ.अनु.प. 3अंचल-1, तुधियाना, पंजाब	160,000	112,762	47,238	-	720,000	-	615,550
180	दमाल	80,000	-	80,000	-	2,560,000	-	1,564,601
181	आंचलिक परियोजना निदेशालय, मा.कृ.अनु.प. 3अंचल-3, बड़ापानी, भेदालय	7,065	50,000	7,065	50,000	1,680,000	57,065,00	1,680,000
182	आंचलिक परियोजना निदेशालय, मा.कृ.अनु.प. 3अंचल-4, कानपुर, उत्तर प्रदेश	80,000	-	80,000	-	1,520,000	-	1,093,626
183	आंचलिक परियोजना निदेशालय, मा.कृ.अनु.प. 3अंचल-5, हैदराबाद	20,191	-	20,191	-	1,520,000	-	506,374
184	आंचलिक परियोजना निदेशालय, मा.कृ.अनु.प. 3अंचल-6, जोधपुर	371,490	76,982	294,508	-	1,280,000	56,565,00	803,812
185	आंचलिक परियोजना निदेशालय, मा.कृ.अनु.प. 3अंचल-7, जबलपुर	-	-	-	-	3,600,000	-	3,600,000
186	निदेशक (कृषि, अरुणाचल प्रदेश सरकार, कर्मा, लोअर सुबनसी, रोक्ट	480,000	-	480,000	-	-	-	480,000

299	बौद्धी डिपार्टमेंट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय	-	-	-	80,000	-	80,000		
300	एजाएप्मेंटर काउंफ्रेंस (लोअरटीनीएस)	-	-	-	80,000	-	80,000		
301	वीएग्रु शिक्षा निदेशालय, साबोर, भागलपुर	-	-	-	160,000	-	160,000		
302	इण्डियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लान्ट ब्रीडिंग	-	-	-	80,000	-	80,000		
303	आईसीएआर यूनिट-आईआईएमआर हैदराबाद	-	-	-	80,000	-	80,000		
304	मिलेजम विश्वविद्यालय	-	-	-	80,000	-	80,000		
305	रवी इचित्रन हॉटेल्स एंड कॉम्प्लेक्स 2016	-	-	-	80,000	-	80,000		
306	सोसाइटी फॉर प्लान्ट स्ट्रिचर्ज, मेरठ	-	-	-	100,000	-	100,000		
307	भारत प्रकाशन विलों लिमिटेड	-	-	-	100,000	-	100,000		
	योग	35,209,568	6,686,922	28,522,646	50,000	17,712,267	332,749	14,861,209	31,090,955

५८८
जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआर, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

२१६२
आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआर, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

५८९
बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
पीपीवी और एफआर, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

New page ad Mail

अनुबंध डॉ/ख
राशि, रूपयों में

अन्य भत्ते

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	लाइसेंस फीस	37,560
	योग	37,560

२०१२

ज.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

२११२

बी. राजेन्द्र
अद्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

अनुबंध ढ
राशि, रूपयों में

प्रशिक्षण केन्द्रों से पेशगी वापसी

क्र.सं.	प्रशिक्षण केन्द्रों का नाम	प्राप्त राशि
1	एमपीयूए एंड टी, उदयपुर	14,415
2	सी आर आर आई, कटक	10,275
3	आईसीएआर काम्लैक्स, ओल्ड गोवा	80,000
4	भारतीय तिलहन अनसंधान संस्थान, हैदराबाद	8,440
5	एनएयू नवसारी, गुजरात	48,195
6	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, आईसीएआर जोन-III, बारापानी, मेघालय	57,065
7	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, आईसीएआर जोन-IV, जोधपुर	56,565
8	कृषि निदेशालय, भारत सरकार, पणजी (दक्षिण गोवा)	10,000
9	यूथ फॉर एक्शन, सिकन्दराबाद	3,590
10	रजिस्टर आईआईएस विश्वविद्यालय	24,866
	योग	313,411

ज्ञप्त प्रकाशन
जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2182
आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2182
बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

अनुबंध—न
राशि, रुपयों में

स्टाफ से पेशगी वापसी			
क्र.सं.	लाभार्थी का नाम		प्राप्त राशि
1	डीडीओ		402,674
2	डी एस राजगणेश		15,549
3	डी-डीओ पीपीवी एफआरए (जीन निधि)		190,716
	योग		608,939

बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

आर.सी.अग्रवाल

महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहाकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

अनुबंध —ओ
राशि, रुपयों में

संदर्भ किसी के रखरखाव से पेशगी वापसी		
क्र.सं.	प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम	वापिस प्राप्त हुई राशि
1	डॉजीआर (मुंगफली अनुसंधान निदेशालय), जूनागढ़	82,550
2	एनआरसीएसएस (राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र), अजमेर	65,500
	योग	148,050

बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष

पीपीवी और एफआर, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

आर.सी.अग्रवाल

महा पंजीकार

पीपीवी और एफआर, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहाकार

पीपीवी और एफआर, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पीपीवी और एफआरए की प्रमुख लेखा नीतियाँ

1. लेखाकरण प्रणाली

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुसार सामान्य रूप से स्थीकार्य लेखाकरण प्रणाली के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं जो भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी अनिवार्य लेखा मानकों के संदर्भ में लागू होते हैं तथा लेखा महानियंत्रक द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्रशासी निकायों के लिए प्रस्तुत करते आवश्यक हैं। प्राधिकरण आय व व्यय की सभी मद्दों के संबंध में लेखे की निर्धारित विधियों को अपनाती है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2. अचल सम्पत्तियाँ

क) अचल सम्पत्तियों का लेखा तब रखा जाता है जब उचित निरीक्षण के पश्चात उन्हें प्रभार में लिया जाता है।
 ख) अचल सम्पत्तियों की लागत कुल मूल्यांक को घटा कर लगाई जाती है। लागत में खरीद मूल्य, मालभाड़ा, शुल्क तथा कर और कोई भी प्रत्यक्ष ऐसी लागत आर्ही है जो परिसम्पत्तियों को लाने में लगी हो या उसे कार्यशाल बनाने में लगी हो। अचल सम्पत्तियों को अधिग्रहीत करने/उनके निर्णाण से संबंधित वित्तीय लागत को भी इस प्रकार शामिल किया जाता है कि वे उस अवधि से संबंधित हो जिस अवधि तक परिसम्पत्तियाँ अपने अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार होती हैं।

ग) गेर-आर्थिक अनुदानों से प्राप्त अचल सम्पत्तियों का पूँजीकरण पूँजी आरक्षण में नामे किए गए मूल्य पर किया जाता है। निशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त की गई अचल सम्पत्तियों को 1 रुपये के नाममात्र मूल्य पर लेखाकृत किया जाता है।

जन्म प्रकाश नंद
जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2102

आर.सी.अग्रवाल

महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र

अव्याप्ति

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

3. मूल्यद्वास

- क) मूल्यद्वास आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराए गए मूल्य पर लिखा जाता है।
ख) 5000/-रु. और इससे कम की लागत वाली अचल सम्पत्तियों की प्रत्येक मद को उनके अधिग्रहण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यद्वासित मान लिया जाता है।

4. पट्टेदारी

पट्टेदारी किए पट्टेदारी की शर्तों के अनुसार अदा किए जाते हैं।

5. परिसम्पत्तियों की क्षति

परिसम्पत्तियों में क्षति तब मानी जाती है जब परिसम्पत्तियों की लागत उनकी वस्तु की मूल्य से अधिक हो जाती है। यह क्षति उस वर्ष के आय व व्यय के विवरण में दर्ज की जाती है जिस वर्ष परिसम्पत्ति को क्षतिग्रस्त पहचाना जाता है। क्षति संबंधी हानि को लेखा अवधि से पहले पहचाना जाता है और इसे अनुमानित या वस्तु की योग्य राशि के प्रभार के रूप में दर्ज किया जाता है।

6. फुटकर व्यय

आगे लाया गया राजस्व व्यय, जिस वर्ष हुआ है उस वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के बाद बट्टे खाते में भाल दिया जाता है।

7. सरकारी अनुदान/योगदान

(क) एकमुश्त अनुदान सहायता पूँजी या राजस्व और वेतन के रूप में होने वाले सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त होती है। अनुदान सहायता से सुजित द्वासशील परिसम्पत्तियों की लागत को 'कॉर्पस/पूँजीगत निधि' के खाते में दर्ज किया जाता है। उन परिसम्पत्तियों पर भी मूल्यद्वास कॉर्पस/पूँजीगत निधि के विचार लिया जाता है जो उस परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन के समाप्त होने के

आर.सी.अग्रवाल

महा पंजीकार

जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र

अवधि

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बाद होते हैं तथा इन्हें आय तथा व्यय लेखे में आय के अंतर्गत रखा जाता है। राजस्व व्यय से अधिक अनुदान की शेष राशि को वर्ष के अंत में कॉर्पस/पूँजी निधि में हस्तांतरित किया जाता है। डीयूएस केन्द्रों तथा अच्युत को अनुदान सहायता/अनुदान सक्षम प्राधिकारी की स्थीकृति के बाद दिए जाते हैं तथा निर्धारित फार्मेट में लेखापरीक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद उन्हें पेशगी के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। ये प्रमाण पत्र संबंधित डीयूएस केन्द्रों/अन्य से प्राप्त होने चाहिए। वारस्तविक व्यय को डीयूएस केन्द्रों/अन्य लेखों के अंतर्गत अनुदान सहायता में नामे किया जाता है जो अग्रिम लेखे के रूप में होता है तथा पेशगी की शेष बची राशि वर्ष के अंतिम दिन अनप्रयुक्त अनुदान के रूप में बची रहती है।

(ख) जिन मामलों में केन्द्र उपयोग प्रमाण पत्र लेखों को अंतिम रूप देने के पश्चात उसके पूर्व के वर्षों में प्रस्तुत करता है, उन मामलों में व्यय को संबंधित चालू वर्ष में लेखाबद्ध किया जाता है तथा इसे पूर्ववधि समायोजन लेखा के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है, जैसा भी मामला हो।
 (ग) यदि वारस्तविक व्यय की गई राशि अदा की गई पेशगी राशि से अधिक है, प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर व्यय की गई अतिरिक्त राशि के लिए आवश्यक दायिता सुनित की गई है और सक्षम प्राधिकारी की स्थीकृति से राशि जारी की गई है तथा इस प्रकार किए गए अतिरिक्त व्यय को तर्कसंगत नहीं पाया गया है तो सृजित दायिता को वापस ले लिया जाता है।

- 8. विदेशी मुद्रा लेन-देन**
- विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन, लेन-देन की तिथि को मौजूद विनिमय दर पर रिकॉर्ड किए जाते हैं।

- 9. सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ**
- क) नई पेशन योजना के वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा अदा किए गए/अदा किए जाने वाले योगदानों को आय और व्यय के विवरण में दर्ज किया जाता है।

ब्रिजेन्द्र
अध्यक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार

छ) ग्रेड्युली संबंधी दायिताओं को वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है और इसे वार्षिक रूप से निर्धारित किया जाता है।

ग) कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण के लिए दी जाने वाली देयता वास्तविक आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है जो वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित होती है।

10. कर-निर्धारण

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 91 के अंतर्गत प्राधिकरण को अपनी संपत्ति, आय, लाभ या प्राप्तियों के लिए किसी प्रकार का संपत्ति कर, आय कर या अन्य कोई कर अदा करने की आवश्यकता नहीं है।

11. प्रावधान, आकस्तिक देयताएं और आकस्तिक परिसम्पत्तियाँ

किसी नाप में अनुमान की पर्याप्त मात्रा से संबंधित प्रावधानों को तब लागू किया जाता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान में ऐसा करना आवश्यक हो और यह संभावना व्यक्त की गई हो कि संसाधन फालतू हो सकते हैं। आकस्तिक देयताओं को पहचाना नहीं जाता है बल्कि लेखे के एक भाग के रूप में टिप्पणियों में दर्ज किया जाता है। आकस्तिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो पहचाना जाता है और न ही उनका खुलासा किया जाता है।

12. आय और व्यय

इस पैराग्राफ के अंत में बताए गए विवरण के अतिरिक्त वर्ष के सभी आय और व्यय को वास्तविक आधार पर लेखे के विशिष्ट और प्रत्यक्ष शीर्षकों में लेखाकृत किया जाता है।

क) पिछले वर्ष का ऐसा आय अथवा व्यय जो प्रावधान करने/देयता सूजित करने में हुई एक या इससे अधिक पूर्व अवधियों के दौरान हुई त्रुटियों या गलतियों के परिणामस्वरूप हुए हों, इन्हें 'पूर्व अवधि समायोजन' लेखे के अंतर्गत लेखाकृत किया जाता है।

जन्म प्रकाशन
जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

आर.सी.अग्रवाल

महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

21/2

21/2

बी. राजेन्द्र

अव्यक्त

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


छ) यदि वार्ताविक व्यय अथवा आय अनुमानित आधार पर किए गए सुजित देयता/प्रावधान से अधिक हो जाते हैं तो उन्हें नकद आधार पर लेखाकृत किया जाता है।


- ग) प्राधिकरण द्वारा वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने के बाद की तिथि में लिए गए निर्णय के कारण और किसी अति विशिष्ट मद पर हुए आय/व्यय को, यदि कोई है तो तत्कालीन प्रभाव से नकद आधार पर लेखाकृत किया जाता है।
- घ) तुलना-पत्र में किसी मद के लेखाकरण उपचार या खुलासे की विधि का पता लगाने में भौतिकता की संकल्पना पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। अतः 1000/-रु. तक की प्रत्येक मद के लिए पहले से अदा किए गए/पूर्व अवधि को नकद आधार पर लेखे के प्राकृतिक शीर्षों में दर्ज किया जाता है।

13. राजस्व पहचान

- क) आवेदन/पंजीकरण हेतु शुल्क, समय बढ़ाने तथा किसी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से विरोध संबंधी और योगदान संबंधी नोटिस के लिए दिया जाने वाला समय तथा उससे होने वाली आय को प्राप्ति के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
- ख) (i) वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान तथा उसके बाद प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क को उस वर्ष में प्राधिकरण की आय माना जाएगा जिस वर्ष यह प्राप्त होती है।

(ii) 2008–09 से 2012–13 की अवधि के लिए प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क तथा अदा की गई अग्रिम राशि को और संबंधित डीयूएस परीक्षण केन्द्र को अदा की गई 50 प्रतिशत अग्रिम राशि को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण–पत्र तथा प्रत्येक मामले में अब तक प्राप्त की गई रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और अग्रिम राशि की शेष बची 50 प्रतिशत राशि को संबंधित डीयूएस केन्द्रों को देने की बजाय प्राधिकरण की आय माना जाएगा। इसके साथ ही प्राप्त किए गए कुल डीयूएस परीक्षण शुल्क में प्राधिकरण के 30 प्रतिशत हिस्से को भी आय माना जाएगा। जिन मामलों में परीक्षण रिपोर्ट न प्राप्त हुई हो वहां राशि को परीक्षण प्राप्त होने पर समायोजित किया जाएगा।


जयेश पटेल
जै.पी. सिह
वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली–110012



बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली–110012

के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि तीन अतिरिक्त तल तथा एक भूमिगत तल निर्मित किया जाएगा जिसमें से 2 तल एनआरए और एक तल कृषि एवं सहकारिता विभाग के लिए होंगा। इमारत के क्षेत्र तथा लागत में साझीदारी के लिए पीपीवी और एफआरए तथा राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरए) के बीच 07.04.2014 को एक समझौता ज्ञापन लागू किया गया।

इस समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार दो तलों के निर्माण की लागत, भूमिगत तल के निर्धारित भाग व अन्य सामान्य सुविधाओं पर होने वाले व्यय को निर्मित क्षेत्र पर प्रोटोकॉल के आधार पर राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा। पीपीवी और एफआरए ने एफआरए ने नीलामी, ड्राइंग तैयार करने और आकलन आदि जैसी प्रक्रियाओं पर अभी तक जो भी कार्य किया है वह पुनः किया जाएगा तथा डिजाइनों, ड्राइंगों, आकलन की बोली से संबंधित दस्तावेजों, संशोधित अनापत्तियों आदि पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा। पीपीवी और एफआरए ने इमारत के निर्माण के आरंभिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए 5 करोड़ रुपये की अप्रिम राशि प्राप्त कर ली है। इसलिए ले आउट प्लान को पुनः तैयार करने में होने वाला व्यय का दावा जो 187.40 लाख रुपये है और जिसे यूपीआरएन लिमिटेड ने किया है, उस राशि का भुगतान एनआरए द्वारा किया जाएगा। समझौता ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि इमारत का निर्माण पूरा होने के बाद वार्षिक सामान्य रखरखाव तथा अनुरक्षा संबंधी व्यय में इमारत के निर्मित क्षेत्र पर प्रोरेटा आधार पर एनआरए की भी हिस्सेदारी होगी।

5. अचल सम्पत्तियाँ

भौतिक परिसंपत्तियों के सत्यापन के लिए 31.03.2017 को प्रबंधन द्वारा एक टीम गठित की गई। यह बताया गया है कि वहाँ परिसंपत्तियों में कोई कमी/अधिकता नहीं पायी गई।



वी. राजेन्द्र
अच्युत
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

6. चालू सम्पत्तियाँ, ऋण तथा पेशगियाँ

(क) पूर्व अध्यक्ष के अंशदान भविष्य निधि के रूप में कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार से प्राप्य 45,000/-रु. की राशि पेशगी के रूप में दर्शायी गई है। मंत्रालय के अनुदेशों पर अध्यक्ष का अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) बंद कर दिया गया तथा इस राशि को प्राधिकरण द्वारा जमा करा दिया गया है और मंत्रालय द्वारा प्राप्त कर लिया गया है जिसके लिए मंत्रालय से अनुरोध किया गया है लेकिन वापसी की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) 2008–09 से 2012–13 की अवधि के पूर्व डीयूएस परीक्षण शुल्क के रूप में 3,16,12,000 रुपये और अदा की गई 15,66,500 रुपये की पेशगी राशि की देयता का समायोजन अभी होना बाकी है क्योंकि प्राप्त किए गए डीयूएस परीक्षण शुल्क के अलग-अलग मामलों तथा संबंधित डीयूएस परीक्षण केन्द्रों को अदा की जाने वाली पेशगियों को एक साथ जोड़ते हुए डीयूएस परीक्षण रिपोर्टों की तिथि से उनके द्वारा प्राप्त होने वाली राशि को समायोजित होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

(ग) डीयूएस केन्द्रों में पेशगियों के रूप में 01.04.2016/- को आदिशेष 4,82,09,595 रु. था और वर्ष 2016–17 में विभिन्न डीयूएस केन्द्रों को 4,71,31,161/- रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2016–17 के लिए 3,01,07,890/- रुपये के और वर्ष 2015–16 के लिए 1,47,35,920/- रुपये की राशि के उपयोग प्रमाण-पत्र तथा वर्ष 2016–17 के लेखों के बंद होने तक प्राप्त किए गए। शेष 5,82,12,647 रु. की राशि 31.03.2017 को बकाया है क्योंकि संबंधित डीयूएस केन्द्रों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होना बाकी है – अनुबंध य और ग।

(घ) दिनांक 01.04.2016 को आदिशेष के रूप में नए डीयूएस केन्द्रों को दी गई पेशगी की राशि 1,63,33,495/- रु. थी तथा वर्ष 2016–17 के दौरान विभिन्न डीयूएस केन्द्रों को 1,12,25,966/- रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2016–17 के लेखों के बंद होने तक वर्ष 2016–17 के लिए 44,95,/– रुपये और वर्ष 2015–16 के लिए 33,66,214/- रुपये की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा 1,77,59,580/- रुपये की राशि 31.03.2017 को बकाया है क्योंकि संबंधित नए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने बाकी हैं – अनुबंध घ व झ।

(इ.) दिनांक 01.04.2016 को संदर्भ प्रयोगशालाओं को दी गई पेशगी की राशि 22,61,611/- रु. आदिशेष के रूप में 31.03.2017 को बकाया थी क्योंकि संबंधित संदर्भ प्रयोगशालाओं से राशि की वापसी या उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए थे – अनुबंध च।


ज्ञाम प्रकाश नारायण
जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


बी. राजेन्द्र
अद्यता
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


(च) दिनांक 01.04.2016 को आदिशेष के रूप में फील्ड जीन बैंकों को दी गई पेशगी की राशि 10,64,102/- रु. थी तथा वर्ष 2016–17 के दौरान विभिन्न फील्ड जीन बैंकों को 35,24,952/- रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2016–17 के लेखों के बद होने तक वर्ष 2016–17 के लिए 16,21,091/- रुपये और वर्ष 2015–16 के लिए 7,01,430/- रुपये की राशि के उपयोग के प्रमाण–पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा 19,15,352/- रुपये की राशि 31.03.2017 को बकाया है क्योंकि संबंधित नए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों से उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त होने बाकी हैं – अनुबंध छ एवं ज।

(छ) दिनांक 01.04.2016 को आदिशेष के रूप में विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों को दी गई पेशगी की राशि 3,52,09,568/- रु. थी तथा वर्ष 2016–17 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों को 1,77,12,267/- रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2016–17 के लेखों के बद होने तक वर्ष 2016–17 के लिए 1,48,61,209/- रुपये और वर्ष 2015–16 के लिए 66,86,922/- रुपये की राशि के प्रमाण–पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा 3,10,90,955/- रुपये की राशि 31.03.2017 को बकाया है क्योंकि संबंधित प्रशिक्षण परीक्षण केन्द्रों से उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त होने बाकी हैं – अनुबंध झ।


(ज) वर्ष के दौरान कुछ डीयूएस परीक्षण/परियोजना केन्द्रों द्वारा किए गए वार्ताविक व्यय से संबंधित प्राप्त उपयोग प्रमाण–पत्रों के अनुसार आगे वर्ष के लिए समायोजित निधियों से 23,50,018/- रुपये अधिक था। चूंकि यह अतिरिक्त व्यय चालू वर्ष से संबंधित है, अतः वांछित देयता सुनित की गई है जो सक्षम प्राधिकारी के अनुसोदन के बाद जारी की जाएगी और यदि किया गया था अतिरिक्त व्यय तरफ़संगत नहीं पाया गया तो सुनित की गई देयता को वापस ले लिया जाएगा।

(झ) कुछ मामलों में पेशगियों को अस्थाई उपयोग प्रमाण–पत्र के आधार पर समायोजित किया गया है इसके अलावा बकाया पेशगियों को डीयूएस केन्द्र/परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पुष्ट किए जाने पर समायोजित किया जाएगा।

(ञ) डीयूएस केन्द्रों, नए डीयूएस केन्द्रों, फील्ड जीन बैंकों, संदर्भ प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण केन्द्रों से वर्ष 2016–17 के लिए उपयोग प्रमाण–पत्रों की प्राप्तियों के लंबित होने के कारण संस्थाओं/संगठनों को अनुदान के विरुद्ध व्यय के लिए एकमुश्त देने का प्रावधान किया गया है तथा प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम के लिए निर्धारित क्रमशः 2,41,60,000/- और 29,11,000/- रुपये की राशि को आकलित आधार पर पूर्व प्रवृत्ति के अनुसार समायोजित किया गया है।


 जयंति
 जेए.सी.सिंह
 वित्तीय सलाहकार
 पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
 एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


 बृजेन्द्र
 अच्युत
 आर.सी.अग्रवाल
 महा पंजीकार


 बृजेन्द्र
 अच्युत
 पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
 एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

(ट) वार्षिक शुल्क को फसल किसम के पंजीकृत होने की तिथि से एक वर्ष पूरे होने पर बकाया माना गया है। तदनुसार प्राय वार्षिक शुल्क, पहले से प्राप्त व वापसी योग्य राशि को 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार लेखाकृत किया गया है। किसी भी वार्षिक शुल्क को उस स्थिति में प्राप्त नहीं माना गया है जब वार्षिक शुल्क की बकाया तिथि के पहले पंजीकृत किसम की वैधता की अवधि समाप्त हो गई हो। इसके अतिरिक्त राजपत्र अधिसूचना दिनांक 26 अगस्त 2009 के अनुसार प्रजनकों या एजेंट या लाइसेंसी को पंजीकृत किसम के बीजों के बिक्री मूल्य और रायटरी के कुछ प्रतिशत भाग को अदा करने की अपेक्षा की जाती है। बकाया राशि के लिए आय का लेखाकरण इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि प्रजनकों या एजेंटों और लाइसेंसों से बिक्री मूल्य का विवरण प्राप्त नहीं हुआ था और इन मामलों में वांछित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। यदि कोई प्रजनक /एजेंट या लाइसेंसी लगातार दो वर्षों के दौरान शुल्क जमा करने में असमर्थ हो जाता है तो एक नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है और यदि इस नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन न किया जाए तो सभी देय सुरक्षां जब्त कर ली हुई घोषित की जाती है।

7. कर-निर्धारण

पीपीवी और एफआरए 2001 की धारा 91 के अनुसार "प्राधिकरण को अपनी संपत्ति, आय, लाभ अथवा प्राप्तियों पर आयकर या कोई अन्य कर नहीं देना है" अतः वर्तमान और अदा की जाने वाली आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

8. उच्चांत

मुख्यालय में 25,000/-रु., रांची कार्यालय में 52/-रु. तथा गुवाहाटी कार्यालय में 767/-रु. उच्चांत राशि बकाया थी।

9. सरकारी अनुदान

भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानक (एएस-12) के अनुसार द्वासमान परिसम्पत्तियों से संबंधित अनुमानों को इतर आय के रूप में माना जाता है जिसे परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान आय और व्यय लेखे में मान्यता प्रदान की जाती है। तदनुसार भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों से

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार

जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र
अव्याप
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

वर्ष के दौरान खरीदी गई अचल सम्पत्तियों को कॉर्पस/पूँजी निधि के रूप में जोड़ा गया है जिसकी राशि 48,036/- रुपये है और वर्ष के दौरान वसूला गया मूल्यदाता 8,43,421/- रुपये है जो संबंधित आय और व्यय लेखे के नामे में से कॉर्पस निधि से घटा दिया गया है।

10. सेवानिवृत्ति लाभ

(क) ग्रेचुटी : कर्मचारियों को ग्रेचुटी देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराई गई है जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा के कुल वर्षा पर निभर करती है तथापि, इसकी अधिकतम सीमा 10.00 लाख रुपये है। तुलना-पत्र में दर्शाई गई ग्रेचुटी दायिता का सारांश इस प्रकार है:

(रुपयों में)

- (क) 01.04.2016 को देनदारी का वर्तमान मूल्य 21,00,158/-
- (ख) वित्त वर्ष 2016–17 के लिए आय और व्यय लेखे में मान्यता प्राप्त व्यय 10,47,403/-
- (ग) 31.03.2017 को बाध्यता का वर्तमान मूल्य 31,47,561/-

बीमांकित अवधारणाएं

बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रमुख अवधारणाएं निम्नानुसार हैं :

प्रयुक्त की गई विधि – परिवीक्षित इकाई जमा विधि

छट की दर 7.37 प्रतिशत

वेतन में भावी बढ़ोतारी 5.50 प्रतिशत

बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

आर.सी.अग्रवाल

महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

जेएसी. सिंह

वित्तीय सलाहकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

(ख) **छुट्टी नकदीकरण** : कर्मचारियों द्वारा अर्जित छुट्टी संबंधी देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है जो वर्ष के अंत में अर्जित की गई छुट्टी, नकदीकरण, ली गई छुट्टी, समाप्त हो गई छुट्टी तथा प्रतिपूरक अनुपस्थिति के आधार पर निश्चित होती है। ऐसा सेवा में रहते समय अथवा सेवा को छोड़ते समय निर्धारित किया जाता है जो प्राधिकरण में एस-15(आर) के अनुसार निर्धारित होता है।

31.03.2017 को प्रतिपूरत अनुपस्थिति सहित अर्जित की गई छुट्टी दायिता की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है:

(रुपयों में)

- | |
|--|
| (क) दिनांक 01.04.2016 को देनदारी का वर्तमान मूल्य 23,35,942/- |
| (ख) वित्त वर्ष 2016–17 के लिए आय और व्यय लेखे में मान्यता प्राप्त व्यय 10,93,265/- |
| (ग) 31.03.2016 को बाध्यता का वर्तमान मूल्य 34,29,207/- |

बीमार्कित अवधारणाएँ

बीमार्कित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रमुख अवधारणाएँ निम्नानुसार हैं :

प्रयुक्त की गई विधि – परिवीक्षित इकाई जमा विधि	7.37 प्रतिशत
वेतन में भावी बढ़ोतरी	5.50 प्रतिशत

11. विदेशी मुद्रा लेन–देन

प्राधिकरण ने हिवर्ष्य आईटीपीजीआरईए के लिये भारतीय मुद्रा रूपये 34,27,949/- में यूएस डॉलर 52,279.44 का योगदान दिया। प्राधिकरण को चित्रकूट में अंतर्राष्ट्रीय कार्यपाला व उसकी वितीय सहायता के लिये एफएओ की ओर से भारतीय मुद्रा रूपये 1,23,980/- प्राप्त हुए।


अ.सी.अम्रवाल
जे.पी. सिंह
वितीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


बी. राजेन्द्र
अव्याप
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

12. पूर्वविधि समायोजन लेखा

वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न डीयूएस केन्द्रों, परियोजनाओं तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को दी गई पेशगियों का समायोजन वर्ष 2014–15 के लेखों को अंतिम रूप देने की तिथि तक प्राप्त हुए उपयोग प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। वर्ष 2014–15 या इससे पूर्व की अवधि से संबंधित वर्ष 2016–17 को प्राप्त किए गए प्रमाण पत्रों को, पूर्वविधि व्यय शीर्षों के अंतर्गत लेखाकृत किया गया है। वर्ष 2015–16 से संबंधित जो उपयोगिता प्रमाण–पत्र 2016–17 में प्राप्त हुए उन्हें प्रावधान के अंतर्गत समायोजित किया गया और प्रावधान से अधिक हुए व्यय को लेखे के प्रत्यक्ष शीर्ष के अंतर्गत लेखाकृत किया गया है। इसी प्रकार, गैर दायिता वाली पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय के लिए संबंधित वर्षों में कोई दायिता सूजित नहीं की गई तथा इन्हें भी पूर्व अवधि समायोजन लेखे में लेखाकृत किया गया है।

15. पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के संबंधित आंकड़े पुनर–समूहित / पुनर–वर्गीकृत किए गए हैं जो चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप हैं।

21/02/2017
बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली–110012

21/02/2017
जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली–110012

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली–110012



कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit, (Central Expenditure)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002
Indraprastha Estate, New Delhi -110 002

ए.एम.जी.-IV/एस.ए.आर/पी.पी.वी.एवं.एफ.आर.ए/9-23/2017-18/

दिनांक: 17.11.17

सेवा मैं,

सचिव, भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय,
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि भवन,
नई दिल्ली-110001

विषय : वर्ष 2016-17 के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
महोदया/महोदय,

मैं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 के प्रमाणित वार्षिक लेखों की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (Disclaimer) अंकित करें।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

अवदीया,

—इस्ता—

उप-निदेशक (ए.एम.जी.-IV)

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स, (टोडा पुर के सामने) डी.पी.एस मार्ग, नई दिल्ली 110012 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वार्षिक लेखाओं की हिंदी प्रति की 1 प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब ये संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

संलग्नक: यथोपरी

उप-निदेशक (ए.एम.जी.-IV)

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित प्रशासन अधिकारी (रिपोर्ट -ए बी), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोपरी

- हस्त -

उप-निदेशक (ए.एम.जी.-IV)

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of the Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority (PPV&FRA) for the year ended 31 March 2017

We have audited the attached Balance Sheet of the Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority (PPV&FRA) as at 31st March 2017 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 62 (2) of the PPV&FRA Act, 2001. These financial statements include the accounts of 2 units/branches of the PPV&FRA. These financial statements are the responsibility of the PPV&FRA's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observation on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulation (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Report separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanation, except as stated in the report, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in uniform format of accounts as prescribed by the Government of India, Ministry of Finance.
- (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the PPV&FRA as required under Section 62 (1) of PPV&FRA Act 1962 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Liabilities

A.1.1 Current Liabilities & Provisions (Schedule 7) - Rs. 12.35 Crore.

The above does not include unspent grant-in-aid of Rs.95.40 lakh resulting in understatement of Current Liabilities & Provisions and overstatement of Capital Fund by Rs. 95.40 lakh.

B. Grant-in-aid

The authority received Plan grant-in-aid during 2016-17 to the tune of Rs.1975.00 lakh and had an opening balance of Rs.7.38 lakh. Out of the total funds of Rs. 1982.38 lakh it utilised Rs.1886.98 lakh leaving unspent balance of Rs.95.40 lakh under Plan.

C. Management letter: Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Chairman, Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority through a management letter issued separately for remedial/corrective action.


(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority as at 31 March 2017; and

b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India



Director General of Audit
Central Expenditure

Place: New Delhi

Date: 17.11.17

Annexure

1. Adequacy of internal audit system

The Authority has no separate internal audit department due to shortage of regular staff in the Finance Section. Internal Audit up to the year 2014-15 has been done by the Chartered Accountant and not conducted since 2015-16.

2. Adequacy of internal control system

Internal control is weak in the following areas and needs strengthening

- (i) Internal Audit has not been done since 2015-16.
- (ii) Utilisation certificates are pending in respect of advances given by the Authority to DUS centre, training centres etc. The details of pendency of utilisation certificates as on 31st March 2017 is as under:-

Sl. No.	Subject	Outstanding Utilisation Certificates
1.	Advance/grant Released to Existing DUS	5,82,12,647
2.	Advance/Grant released to New DUS	1,77,59,580
3.	Field Gene Bank	19,15,352
4.	Training Centre	3,10,90,955
		10,89,78,534

3. System of physical verification of fixed assets

The physical verification of fixed assets for the year 2016-17 had been conducted and no loss has been reported.

4. System of physical verification of inventory

The physical verification of Stationery, Books and Consumables etc. had been conducted up to March 2016 and no material deficiency was reported.

5. Regularity in payment of statutory dues

No payment over six months in respect of statutory dues was outstanding as on 31.3.2017

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर./पी.पी.वी.&एफ.आर.ए./9-23/2017-18/ 1406

ममता कुन्द्रा आई ए ए एस
Mamta Kundra, IA & AS



महानिदेशक लेखा परीक्षा
(केन्द्रीय व्यय), नई दिल्ली
भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
Director General of Audit
(Central Expenditure)
New Delhi
Indian Audit and Accounts Department

दिनांक: 17.11.17

प्रबंधन पत्र

प्रिय डॉ. बी. राजेन्द्र जी,

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली, के वर्ष 2016-17 के लेखों की लेखापरीक्षा कर ली गयी है और मेरे कार्यालय के पत्र संख्या अ.शा.प.स./ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर./पी.पी.वी.&एफ.आर.ए./9-23/2017-18/ 1406 दिनांक: 17.11.17 द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी कर दिया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान कुछ अनियमितगाएँ एवं कमियां ध्यान में आई हैं जिन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है। इन कमियों को संलग्न अनुबन्ध में दर्शाया गया है।

अतः इस पर आपकी ध्यान आकर्षित करते हुए मेरा अनुरोध है की इन अनियमिताओं एवं कमियों पर उचित कार्यवाही की जाए।

सादर,

आपकी शुभेच्छा

डॉ. बी. राजेन्द्र,
अध्यक्ष,
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण,
एन.ए.एस.सी.कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली -110012.

Annexure to Management Letter

1. Receipts and Payments Account

There are differences in the figures of closing cash/bank balance between Receipts & Payments Accounts and those shown under Current Assets in the Balance Sheet. The Authority stated that the differences were due to sweep balances. However, from Receipts & Payments Account sweep balances as furnished by the Authority are not ascertainable. Receipts & Payments Accounts and the records pertaining to sweep should be so drawn that the closing cash/bank balance should tally with those shown under Current Assets in the Balance Sheet.

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को नई दिल्ली में
22 नवम्बर 2017 को आयोजित अट्टाइसवीं बैठक में स्वीकृत किया गया।
(कार्यसूची मद संख्या 14)



पौधा किरण और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गाँव के सामने
नई दिल्ली-110012

100 प्रतियां